मेहिंदर सिंह सुल्लर के समक्ष जे।

द हिंदू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक *लिमिटेड- याचिकाकर्ता*

बनाम

राज्य सूचना आयोग और
अन्य,-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी.एन.ओ. 19224OF 2006 और संबंधित रिट याचिकाएं

9 मई, 2011

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005-धारा 2 (एच) - आरटीआई अधिनियम के तहत सहकारी समितियों, बैंकों, चीनी मिल्ट्स, सहायता प्राप्त स्कूलों, क्लब संस्थानों से मांगी गई जानकारी- ऐसी संस्थाएं विभिन्न अधिनियमों और नियमों के तहत शासित, नियंत्रित और स्थापित की जाती हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित होती हैं और बड़े पैमाने पर जनता के साथ काम कर रही हैं- क्या आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत परिभाषित सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के भीतर आती हैं- आयोजित, हां- याचिकाकर्ताओं को सूचना प्रदान करने का निर्देश देने वाले राज्य आयोग के आदेशों में कोई अवैधता या कानूनी दुर्बलता नहीं- याचिकाएं खारिज कर दी गईं, राज्य आयोग द्वारा पारित आदेशों को बरकरार रखा गया।

यह माना गया कि न केवल याचिकाकर्ता-संस्थान संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले निकाय हैं, बल्कि वही प्राधिकरण हैं जो उचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं, खासकर जब शिकायतकर्ता, जो सार्वजनिक उत्साही व्यक्ति हैं, अपने साम्राज्य से किसी भी मौद्रिक / मालिकाना अधिकारों या किसी भी प्रकार के हिस्से का दावा नहीं कर रहे हैं। वे केवल जानकारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह देखना काफी अजीब है कि याचिकाकर्ता-संस्थान क्यों शर्म महसूस कर रहे हैं और उन्हें (शिकायतकर्ताओं) जानकारी देने में इतने डर रहे हैं। इसलिए, वे आरटीआई अधिनियम के अर्थ के भीतर सार्वजनिक प्राधिकरण हैं जो एक बड़े सार्वजनिक हित की सेवा करते हैं।

(पैरा 82)

इसके अलावा, कि छूट खंडों के प्रावधानों के एक संयुक्त पढ़ने से पता चलेगा, केवल उन सूचनाओं को छूट दी गई है, जिनके प्रकटीकरण का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई

संबंध नहीं है, या जो

व्यक्ति की गोपनीयता के अनुचित आक्रमण का कारण होगा; जब तक अधिकारी संतुष्ट नहीं होते हैं कि व्यापक जनहित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को सही ठहराता है। इसका मतलब है, क्योंकि छूट खंड के सभी आवश्यक अवयवों का पूरी तरह से अभाव है, इसलिए, याचिकाकर्ता-संस्थान अपनी छूट का दावा नहीं कर सकते हैं।

(पैरा 84)

आगे कहा गया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं नियमित, सामान्य प्रकृति की हैं और जनहित को प्रदर्शित करती हैं, जिन्हें संभवतः याचिकाकर्ता-संस्थानों की गोपनीयता का अनुचित उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है और छूट खंड के भीतर नहीं आती हैं।

(पैरा 85)

इसके अलावा, राज्य सूचना आयोग ने सही परिप्रेक्ष्य में रिकॉर्ड पर सामग्री की जांच की है और रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर तथ्यों के निष्कर्ष को दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता-संस्थान नियंत्रित हैं और राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं और शिकायतकर्ताओं को जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार, एसआईसी ने आक्षेपित आदेशों में वैध कारणों को दर्ज किया है। वैध कारणों वाले ऐसे आदेशों को कानूनी रूप से इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अलग नहीं रखा जा सकता है, जब तक कि वे विकृत और अधिकार क्षेत्र के बिना न हों। चूंकि ऐसी कोई पेटेंट अवैधता या कानूनी दुर्बलता का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए, मामले की प्राप्त परिस्थितियों में आक्षेपित आदेशों को बनाए रखा जाता है।

(पैरा 86)

एम. एल. सरीन और डी. वी. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल क्षेत्रपाल, कंवलवीर सिंह कांग, करमबीर सिंह चावला, बलदेव राज महाजन के साथ। इंद्रपाल सिंह, अश्वनी बख्शी, हरित शर्मा, सतनाम सिंह गिल, संजीव गुप्ता, सुभाष आहूजा और राहुल शर्मा, *याचिकाकर्ताओं के वकील हैं।*

सरताज सिंह गिल, डीएजी, पंजाब, नरेंद्र सिंह, डीएजी, हरियाणा और एचसी अरोड़ा, हरिओम अत्री, एसएस छोकर, जीएस घुमन एलएम गुलाटी, दविंदर कौशल, संदीप कुमार शर्मा, प्रमोद कुमार और जॉन कुमार, *उत्तरदाताओं के वकील।*

शिकायतकर्ता चंदरभान सैनी, सीडब्ल्यूपीएनओ में व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी नंबर 4। 2011 का 3920।

महिंदर सिंह सुल्लार, जे.

1. यह भले ही अजीब लगे, लेकिन कड़ाई से कहें तो कुछ संस्थाओं की सूचना की आपूत न करने और सूचनाओं को नकारने में बाधा न डालने की प्रवृत्ति और आवृत्ति दिन-प्रतिदिन

अत्यधिक बढ़ती जा रही है, जिससे सामान्य रूप से जनता और विशेष रूप से सूचना चाहने वालों को लोकतंत्र और व्यापक जनहित के भवन को नुकसान पहुंचाने के लिए मझधार में छोड़ दिया गया है। हाथ में मामला इस तरह के मामलों का एक ज्वलंत उदाहरण है।

2. चूंकि कानून और तथ्य के समान प्रश्न शामिल हैं और पार्टियों के लिए विद्वान वकीलों द्वारा सामूहिक रूप से बहस की जाती है, इसलिए, मैं इस सामान्य निर्णय के आधार पर, इस संबंध में पुनरावृत्ति से बचने के लिए, तत्काल रिट याचिकाओं का निपटान करने का प्रस्ताव करता हूं। जैसा कि यह हो सकता है, व्यक्तिगत संस्थानों के तथ्यों, जिन्हें तत्काल रिट याचिकाओं में शामिल मुख्य विवाद को तय करने के लिए एक आवश्यक उल्लेख की आवश्यकता है, इस निर्णय के बाद के भाग में उपयुक्त स्थान और मंच पर अलग से चर्चा की जाएगी।

3. तथ्यों का मैट्रिक्स, जिसकी परिणति प्रारंभ में होती है, वर्तमान रिट याचिकाओं के निपटान के लिए प्रासंगिक है और रिकॉर्ड से निकलती है, यह है कि विभिन्न सूचना-चाहने वाले-निजी प्रतिवादी शिकायतकर्ता (संक्षिप्तता "शिकायतकर्ताओं" के लिए) ने अपने संबंधित आवेदनों को सभी मामलों में, याचिकाकर्ता-सहकारी समितियों-बैंकों-चीनी मिलों-सहायता प्राप्त स्कूलों-क्लबों-संस्थानों (संक्षेप में "याचिकाकर्ता-संस्थानों") के संबंधित राज्य जन सूचना अधिकारियों (संक्षेप में "एसपीआईओ") को स्थानांतरित कर दिया। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद "आरटीआई अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों को लागू करते हुए उसमें दर्शाई गई जानकारी मांगी। याचिकाकर्ता-सहकारी समितियां, बैंक और चीनी मिलें (क्रम संख्या 1 से 8 पर) पंजाब/हरियाणा सहकारी समिति अधिनियमों (इसके बाद "सहकारी समिति अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों द्वारा पंजीकृत और शासित हैं। इसी तरह, याचिकाकर्ता-गीता गर्ल्स स्कूल (क्रम संख्या 9 पर) भी हरियाणा शिक्षा अधिनियम, 1995 (इसके बाद "शिक्षा अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल (विशेष पेंशन और अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2001 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अधीन हैं। याचिकाकर्ता-मॉडल स्कूल, सैनी एजुकेशन सोसाइटी, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (संक्षिप्तता "पीसी ए"), चंडीगढ़ लॉन टेनिस एसोसिएशन (संक्षेप में "सीएलटीए"), जुलंडर जिमखाना और सतलज क्लब (सीनियर नंबर 10 से 15 पर) को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है।

4. शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि याचिकाकर्ता-संस्थानों के एसपीआईओ द्वारा उन्हें अपेक्षित जानकारी मुख्य रूप से इस आधार पर नहीं दी गई थी कि, चूंकि वे सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायरे में नहीं आते हैं, इसलिए, आरटीआई अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते हैं और वे कानूनी रूप से जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं हैं। एसपीआईओ

के आचरण से असंतुष्ट, कुछ शिकायतकर्ताओं ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष पहली अपील दायर की, लेकिन व्यर्थ में और याचिकाकर्ता-संस्थानों द्वारा उसी आधार पर उन्हें जानकारी अभी भी प्रदान नहीं की गई थी।

5. याचिकाकर्ता-संस्थानों के कार्यों से व्यथित, शिकायतकर्ताओं ने राज्य सूचना आयोग, पंजाब और हरियाणा (संक्षेप में "एसआईसी") के समक्ष दूसरी अपील दायर की, अन्य *बातों के साथ-साथ* इस आधार पर कि चूंकि आरटीआई अधिनियम के प्रावधान पूरी तरह से लागू हैं, इसलिए, वे उन्हें संकेतित जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थे। याचिकाकर्ता-संस्थानों ने शिकायतकर्ताओं के दावे का विरोध किया और इस संदर्भ में आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को लागू न करने के अपने पिछले रुख को दोहराया।

6. उपर्युक्त अधिनियमों और नियमों के तहत राज्य सरकारों के नियंत्रण और उपयुक्त सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की गई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निधियों को ध्यान में रखते हुए, एसआईसी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरटीआई अधिनियम के प्रावधान याचिकाकर्ता-संस्थानों पर लागू होते हैं और वे कानूनी रूप से अनुमानित जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य हैं और शिकायतकर्ताओं की अपील स्वीकार करते हैं। इस संबंध में संबंधित आक्षेपित आदेशों के माध्यम से।

7. याचिकाकर्ता-संस्थाएं संतुष्ट नहीं हुईं और उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के उपबंधों को लागू करते हुए एसआईसी के आक्षेपित आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिकाओं को प्राथमिकता दी, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* उनके संगठनों पर आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को लागू न करने के अपने मुख्य पूर्व रुख की पुन वकालत की गई।

8. शिकायतकर्ताओं ने याचिकाकर्ता-संस्थानों की दलीलों का विरोध किया और अपने-अपने लिखित बयान दर्ज किए। शिकायतकर्ताओं द्वारा स्थापित मामला, जहां तक प्रासंगिक है, संक्षेप में, यह था कि चूंकि याचिकाकर्ता-संस्थान पूर्वोक्त अधिनियमों/नियमों के तहत शासित, नियंत्रित और स्थापित हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य द्वारा वित्तपोषित हैं और वे बड़े पैमाने पर जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए, वे मांगी गई जानकारी देने के लिए बाध्य हैं

उनके द्वारा। यहां यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि शिकायतकर्ताओं ने रिट याचिकाओं में निहित अन्य सभी आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है और उनकी बर्खास्तगी की प्रार्थना की है। इस प्रकार मैं मामले से अवगत हूं।

9. एसआईसी के आक्षेपित आदेशों की आलोचना करते हुए, पेटीटर-संस्थानों के विद्वान वकील ने कुछ हद तक दृढ़ता के साथ तर्क दिया कि याचिकाकर्ता-संस्थान स्वतंत्र निकाय हैं। चूंकि वे संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या किसी अधिसूचना के जारी होने से स्थापित नहीं होते हैं और न ही वे सरकारों द्वारा स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित होते हैं, इसलिए वे आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत परिभाषित सार्वजनिक प्राधिकरणों की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तर्क आगे बढ़ता है कि चूंकि आरटीआई अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए, वे शिकायतकर्ताओं को प्रश्न में जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। इसलिए, उन्होंने अपनी रिट याचिकाओं की स्वीकृति के लिए प्रार्थना की।

10. तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ता-संस्थानों के विद्वान वकील ने **एसएस राणा** *बनाम* **रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है। (1) ;** प्रीतम सिंह गिल **बनाम** *पंजाब राज्य और अन्य (2)* **के मामले में इस न्यायालय के;**एसएस अंगड़ी **बनाम** *राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, बैंगलोर और अन्य* **मामलों में कर्नाटक उच्च न्यायालय** (3); **दत्ताप्रसाद को.ऑप. हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड.** *बनाम* **कर्नाटक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य (4); (क) क्या यह सच है कि बीदर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर** *बनाम* **कर्णाटक सूचना आयोग, बंगलौर और अन्य (5) के मामले में बीदर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड , बीदर बनाम कर्णाटक सूचना आयोग, बंगलौर और अन्य (5);** मामलों में बॉम्बे उच्च न्यायालय **डॉ पंजाबराव देशमुख शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड (ग) बनाम राज्य सूचना आयुक्त, विदर्भ क्षेत्र, नागपुर एवं अन्य। (6) ; भास्कररराव शंकररराव कुलकर्णी** *बनाम* **राज्य सूचना आयुक्त, नागपुर एवं अन्य।** (7) और **नगर युवक शिक्षण संस्था, वानाडोंगरी, नागपुर** *बनाम* **महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग, विदर्भ क्षेत्र, नागपुर (8) के मामले में निर्णय लिया गया है।**

1.जेटी 2006 (5) एस.सी. 186
2.एआईआर 1982 पीबी और एचवाई। 228
3.2009(5)आरसीआर (सिविल)312
4.2009 (5) आरसीआर (सिविल) 83 3
5.2009 केसीके (सिविल) 3 94
6.एआईआर 2009 बॉम्बे 75
7. एआईआर 2009 बॉम्बे 163
8.एआईआर 2009 (6) बॉम्बे 11

11. इसके विपरीत और आक्षेपित आदेशों की सराहना करते हुए, उत्तरदाताओं की ओर से

पेश विद्वान वकील ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ता-संस्थान संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के तहत पंजीकृत, शासित, नियंत्रित और विनियमित हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं और बड़े पैमाने पर जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए, वे आरटीआई अधिनियम के दायरे में आते हैं और शिकायतकर्ताओं को जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने 2009 की सीडब्ल्यूपी संख्या 17686 में दिए गए इस न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया है, जिसका शीर्षक **"कमल सहकारी चीनी मिल लिमिटेड और अन्य** *बनाम* **राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़ और अन्य,** 18 नवंबर, 2009 को तय किया गया था, जिसकी पुष्टि एलपीएएनओ में प्रथम डिवीजन (एलपीए) बेंच द्वारा की गई थी। 2010 की 122, 2007 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 876 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8 सितंबर, 2010 के निर्णय के माध्यम से **"भारतीय ओलंपिक संघ** *बनाम* **वीरेश मलिक और अन्य"** शीर्षक से।7 जनवरी, 2010 को निर्णय लिया गया; **थलापलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मामले में केरल उच्च न्यायालय** *बनाम* **भारत संघ और अन्य (9);** धारा सिंह बालिका हाई स्कूल, गाजियाबाद **बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के** *मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय* **ने दिनांक 10-11-2010 के अपने आदेश में यह निर्णय दिया था। (10);** डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी **और अन्य बनाम लोक निर्देश निदेशक (कॉलेज), यूटी, चंडीगढ़ और अन्य मामलों** *में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच* **(11); प्रिंसिपल, एमडी सनातन धर्म गर्ल्स कॉलेज अंबाला सिटी** *बनाम* **राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा (12)।**

12. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को काफी विस्तार से सुनने, उनकी बहुमूल्य सहायता के साथ रिकॉर्ड और कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करने और पूरे मामले पर विचार करने के बाद, मेरे विचार से, इस संदर्भ में तत्काल रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है।

13. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हम, भारत के लोगों ने खुद को एक लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र में गठित किया है और भारत के संविधान द्वारा शासित हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र को एक सूचित नागरिक और सूचना की पारदर्शिता की आवश्यकता होती है जो इसके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हो। भ्रष्टाचार के खतरे को रोकने के लिए आवश्यक जानकारी की उपलब्धता, जो पहले से ही झांक चुकी है और खा रही है

(9) 2010 (1) आईडी 83
2008 (4) सिविल न्यायालय मामले 3 52 (इलाहाबाद)
2008 (2) एससीटी 543
2008 (2) लॉ हेराल्ड (पी एंड एच) (डीबी) 1214

नागरिक समाज को परजीवी पसंद है। ऐसे साधन/प्राधिकरण जो सार्वजनिक निधियों या नागरिकों के हित में हस्तक्षेप करते हैं और यथास्थिति, केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के अधिनियमों द्वारा शासित

होते हैं, को जवाबदेह बनाया जाना अपेक्षित है। व्यावहारिक जीवन में, सूचना प्रदान करने से अन्य सार्वजनिक हितों के साथ संघर्ष होने की संभावना है जिसमें सरकारों के कुशल संचालन, सीमित वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता का संरक्षण शामिल है। समाज की लोकतांत्रिक प्रणाली की सर्वोपरि स्थिति को बनाए रखते हुए इन परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक महसूस किया गया। व्यापक जनहित के अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था और जिस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है वह सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने का उपबंध करना है। अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। आरटीआई अधिनियम सूचना तक पहुंच का एक तरीका है। अंततः जो सामने आ सकता है वह यह आश्वासन हो सकता है कि सब ठीक है; यह अच्छी तरह से समाप्त होता है या चौंकाने वाला खुलासे होना चाहिए जो उचित समय पर उचित कार्रवाई के लिए बुला सकते हैं। इसलिए, सूचना तक पहुंच का अधिकार मौलिक अधिकारों की प्रजातियां हैं जो बोलने की स्वतंत्रता के लिए संदर्भित हैं, जिन्हें संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। यद्यपि मौलिक अधिकार के कार्यान्वयन के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आरटीआई अधिनियम इस शासन को कुछ प्रतिबंधों के साथ कवर करता है।

14. गहरी चिंता का प्रदर्शन करते हुए, **पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज** *बनाम* **यूनियन ऑफ इंडिया (13) मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय; उत्तर प्रदेश राज्य** *बनाम* **राज नारायण (14);** और **एसपी गुप्ता** *बनाम* **भारत संघ (15)** ने लोकतांत्रिक गणराज्य और संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों की व्याख्या की है और जानने के अधिकार के महत्व को दर्शाया है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा से लिया गया है, हालांकि पूर्ण नहीं है। यह देखा गया कि इस देश के लोगों को प्रत्येक सार्वजनिक कार्य, अपने सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा किए गए प्रत्येक सार्वजनिक कार्य, प्रत्येक कार्य के बारे में जानने का अधिकार है। एक खुली सरकार की अवधारणा जानने के अधिकार से प्रत्यक्ष उत्सर्जन है जो संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित प्रतीत होता है। इसलिए, यह स्पष्ट किया गया था कि <u>सरकार के कार्यकरण के संबंध में सूचना का प्रकटीकरण नियम और गोपनीयता होना चाहिए</u>

10.2003 (4) एस.सी.सी. 3 99

11. 1975 (4) एस.सी.सी. 428
12. (1981) स.सी.सी. 87

एक अपवाद है। साथ ही, यह देखा गया कि आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्रों में, यह स्वयंसिद्ध है कि नागरिकों को सरकार और अन्य जनसंपर्क के मामलों के बारे में जानने का अधिकार है, जो उनके द्वारा निर्वाचित/स्थापित किए गए हैं, उनके कल्याण के उद्देश्य से शासन की ठोस नीतियां तैयार करना चाहते हैं।

15. इसके परिणामस्वरूप, कोई भी इस तथ्य को नहीं भूल सकता है कि आरटीआई अधिनियम एक सार्वजनिक कानून है, जो व्यापक जनहित और सार्वजनिक नीति की सेवा करता है। रिट याचिकाओं में उठाए गए विवाद का निर्णय करते समय अधिनियम की प्रस्तावना, मूल उद्देश्य, उद्देश्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखना होगा। यह विवाद का विषय नहीं है कि आरटीआई अधिनियम प्रणाली में पारदर्शिता, सूचना तक सहज और गहरी पहुंच सुनिश्चित करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मान्यता प्राप्त सूचना के अधिकार को प्रभावित करने के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करने और प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की अवधारणा को मजबूत करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

16. इसी तरह, अब यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय की ओर से यह अनिवार्य है कि वह विधायिका को प्राकृतिक और सामान्य अर्थ देकर कानून में प्रयुक्त शब्दों से उसकी मंशा का पता लगाए और एक क़ानून के प्रावधानों की व्याख्या उसी तरीके से की जानी चाहिए जैसा कि जनादेश और इसके द्वारा आदेश दिया गया है और अन्यथा नहीं, ताकि व्यापक जनहित को प्राप्त किया जा सके।

17. इस तरह का वर्णन करने और संवैधानिक योजना और आरटीआई अधिनियम की जड़ को ध्यान में रखते हुए, मेरे लिए, इस स्तर पर इस संबंध में याचिकाकर्ता-संस्थानों की ओर से भरोसा किए गए कानून पर ध्यान देना उचित होगा। **एसएस राणा के मामले** *(सुप्रा) में,* याचिकाकर्ता-कामगार कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में शाखा प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था। उक्त अधिनियम के नियम 56 (बी) के संदर्भ में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। सोसायटी के प्रबंध निदेशक ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं। उनकी अपील को निदेशक मंडल ने खारिज कर दिया था। उनके द्वारा दायर रिट याचिका को भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। यह व्यवस्था दी गई कि सोसायटी का गठन किसी अधिनियम के तहत नहीं किया गया है। किसी अन्य सहकारी सोसाइटी की तरह इसके कार्य मुख्यत अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विनियमित होते हैं, सिवाय सोसायटी के उप-नियमों में किए गए प्रावधान के। सदस्यता, शेयरों का अधिग्रहण और अन्य सभी मामले उप-नियमों द्वारा शासित होते हैं। सहकारी समिति के एक अधिकारी के नियम और शर्तें नियमों द्वारा शासित होती हैं। यह नहीं दिखाया गया था कि राज्य अभ्यास करता है

गहरे और व्यापक नियंत्रण के लिए समाज के मामलों पर कोई नियंत्रण। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि समाज पर राज्य का गहरा और व्यापक नियंत्रण है, कई अन्य प्रासंगिक प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है, अर्थात्: (1) समाज का निर्माण कैसे हुआ? (२) क्या यह किसी एकाधिकार चरित्र का आनंद लेता है? (3) क्या समाज के कृत्य सांविधिक कृत्यों या सार्वजनिक कृत्यों में भाग लेते हैं? और (4) क्या इसे सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है? इसलिए, उस मामले के विशिष्ट तथ्यों और विशेष परिस्थितियों में, यह देखा गया कि सोसायटी के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी।

18. इसी तरह, प्रीतम सिंह गिलप्स मामले *(सुप्रा)* में इस न्यायालय ने कहा कि केवल यह तथ्य कि पंजाब सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य का एक साधन, एजेंसी और प्राधिकरण नहीं है और इस तरह रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं है।

19. इसी क्रम में, **एसएस अंगड़ी और** दत्ताप्रसाद कॉप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के मामलों **(सुप्रा) में,** *कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया था कि चूंकि प्रतिवादी-समाज विधायिका द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून का निर्माण नहीं है और सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय नहीं है, इसलिए, यह आरटीआई अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है।*

20. इसी तरह, **डॉ. पंजाबराव के मामले (सुप्रा) में,** *एसएस राणा के मामले*(सुप्रा) के **फैसले पर भरोसा करते हुए**, बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा यह देखा गया था कि महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत सहकारी समिति सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है और आरटीआई अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। **भास्कर के मामले** *(सुप्रा) में, यह* फैसला सुनाया गया था कि चूंकि सार्वजनिक ट्रस्ट सरकार या संसद द्वारा नहीं बनाया गया है और सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित नहीं है, इसलिए, यह सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है और यह आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों से बाध्य नहीं होगा।

21. इसी तरह, **नगर युवक शिक्षण संस्था के** मामले *(सुप्रा) में,* यह साबित करने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई थी कि सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया गया था और केवल शुल्क संरचना, प्रवेश, नए पाठ्यक्रम आदि पर नियंत्रण जनता की परिभाषा के भीतर नहीं आएगा

विशेषज्ञ। विशिष्ट तथ्यों और उस मामले की विशेष परिस्थितियों में, यह देखा गया कि सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। इसी विचार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने **बीदर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के मामले**

(सुप्रा) में दोहराया था। मैंने इन निर्णयों में निर्धारित कानून के प्रस्ताव को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और उन पर विचार किया है।

22. संभवतः, कोई भी उपरोक्त निर्णयों में, उस संदर्भ में, टिप्पणियों के परिदृश्य के संबंध में विवाद नहीं कर सकता है, लेकिन, मेरे विचार से, वर्तमान वास्तविक विवाद को निर्धारित करने के लिए याचिकाकर्ता-संस्थानों के बचाव में नहीं आएगा। इसके अलावा, पूरे सम्मान के साथ, मैं कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा **एसएस अंगदी दत्तप्रसाद, बीदर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के मामले (सुप्रा) और** *डॉ पंजाबराव, भास्कररो, शंकरो और नगर युवक के मामले* (सुप्रा) **में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता हूं,** *अन्य बातों के साथ-साथ* नीचे उल्लिखित कारणों के लिए।

23. पहली बार में, कर्नाटक और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा 2009 की सीडब्ल्यूपी संख्या 17686 में "द कमल कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा चंडीगढ़ और अन्य" शीर्षक से अनुमोदित नहीं किया गया था, जिसका निर्णय 18 नवंबर, 2009 को हुआ था, जिसकी पुष्टि इस न्यायालय की प्रथम डिवीजन (एलपीए) बेंच ने 2010 के एलपीए संख्या 122 में की थी, (ग) दिनांक 8 सितम्बर, 2010 को निर्णीत किए गए निर्णय के अनुसार निम्नलिखित कार्य किए गए हैं -

> *"अपीलकर्ताओं के वकील ने महाप्रबंधक, किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश* ***में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है****।बनाम शत्रुघ्न निषाद,* ***और अन्य, (2003) 8SCC 63 9, 1992 की सीडब्ल्यूपी संख्या 6226****, राज पाल और अन्य बनाम कमल सहकारी चीनी मिल लिमिटेड कमल और अन्य* ***में इस न्यायालय का एक निर्णय, 11 नवंबर, 1992 को फैसला सुनाया गया, और दत्ताप्रसाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड*** *बनाम कर्नाटक* ***राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में कर्नाटक उच्च न्यायालय का एक निर्णय,*** *2009(5) आरसीआर (सिविल) 833. जहां तक पहले दो निर्णयों का संबंध है, वे संविधान के अनुच्छेद 12 की कसौटी पर खरे उतरने से संबंधित हैं। इस प्रकार, वे इसके दायरे को निर्धारित करने के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं हैं*

अधिनियम की धारा 2 जहां वाक्यांश 'सार्वजनिक प्राधिकरण' है और 'राज्य' नहीं है। तीसरा निर्णय सहकारी समिति के संबंध में था जो पूर्णत एक निजी घर, निर्माण समिति थी। आरोप यह लगाया जाना चाहिए कि चूंकि सभी सहकारी समितियां रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के अंतिम नियंत्रण में थीं, इसलिए वे सभी सार्वजनिक प्राधिकरण होंगे। उक्त सोसायटी में सरकार की कोई भागीदारी नहीं थी। उन्हीं परिस्थितियों में विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि समाज सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रति असमर्थनीय नहीं है।' ■

हमारे विचार में, वर्तमान मामला इस कारण से स्पष्ट रूप से अलग है कि यहां अपीलकर्ता-चीनी मिल का प्रबंधन एक प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है जो एक स्लेट सिविल सेवा अधिकारी है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, - अपीलकर्ताओं ने अपीलकर्ता-मिल में सरकार द्वारा की गई वित्तीय सहायता/पूछताछ/इक्विटी भागीदारी की सीमा के बारे में जानकारी दी है। यह स्पष्ट है कि यदि यह जानकारी प्रस्तुत की जाती है तो यह अपीलकर्ताओं के रुख के खिलाफ हो सकती है। में। विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है और परिणामस्वरूप, यह अपील खारिज कर दी जाती है और लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

24. दूसरे, बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णयों में निष्कर्ष मुख्य रूप से एसएस राणा के मामले ***(सुप्रा)*** *में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित है,* जिसने संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत विचार किए गए राज्य के अन्य प्राधिकरण/साधन के अर्थ के भीतर पार्टियों के अधिकारों और देनदारियों के निर्धारण से निपटा है। इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रतीत होता है कि कर्णाटक और बम्बई उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण ऐसा प्रतीत होता है मानो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पक्षकारों के स्वामित्व, सांठीय और मूल अधिकारों का निर्धारण किया जाना था, जिसमें इस अधिनियम को अधिनियमित करने में प्रस्तावना, उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्यों और व्यापक जनहित की इस संबंध में पूरी तरह से अनदेखी की गई है।

25. सबसे ऊपर। अनुच्छेद 12 के तहत आवश्यक गहरा और व्यापक नियंत्रण। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक घटक की आवश्यकता नहीं है। राज्य के साधन का प्राथमिक उद्देश्य संबंध में है

सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सूचना प्राप्त करना, सूचना तक पहुंच बनाना और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मान्यता प्राप्त सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करना है। शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता-संस्थानों के साम्राज्य से किसी भी प्रकार के मौद्रिक लाभ या संपत्ति का दावा नहीं कर रहे हैं। मेरे विचार से, न्यायालयों के माध्यम से मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन और पक्षकारों के मूल अधिकारों और देनदारियों के निर्धारण के उद्देश्य से राज्य के एक साधन पर रिट क्षेत्राधिकार की प्रयोज्यता का प्रश्न आरटीआई अधिनियम के क्षेत्र की

तुलना में पूरी तरह से (पूरी तरह से) अलग है, जिसका उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना है। इसलिए, मेरे विचार में, संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के तंत्र के वाक्यांश का दायरा और दायरा आरटीआई अधिनियम के शासन की तुलना में पूरी तरह से अलग और अलग है। यदि विधायिका का इरादा था, तो अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य के चार सदस्यों के भीतर इसे सीधे तौर पर सार्वजनिक प्राधिकरण की अभिव्यक्ति तक सीमित करना था, तो इस प्रासंगिक संबंध में आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण की एक विशिष्ट व्यापक परिभाषा निर्दिष्ट करने की कोई आवश्यकता / अवसर नहीं था। इसलिए, मेरे लिए, उपरोक्त निर्णयों में कर्नाटक और बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण तत्काल रिट याचिकाओं में पार्टियों के बीच वास्तविक विवाद का फैसला करने के लिए बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है।

26. मेरे विचार से, सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, समस्या से संपर्क करना होगा ताकि आरटीआई अधिनियम की पूरी योजना में झांका जा सके। धारा 2 (ए) "उपयुक्त सरकार" को परिभाषित करता है जिसका अर्थ एक सार्वजनिक प्राधिकरण के संबंध में है जो केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा स्थापित, गठित, स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है, प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा।

27. अधिनियम की धारा 2 (एफ) "सूचना" को किसी भी रूप में किसी भी रूप में किसी भी सामग्री के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी शामिल है , जिसे किसी भी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एक्सेस किया जा सकता है और शब्द "रिकॉर्ड" में शामिल हैं- (i) कोई दस्तावेज, पांडुलिपि और फ़ाइल, (ii) किसी दस्तावेज़ की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश और प्रतिकृति प्रतिलिपि; (iii) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निहित छवि या छवियों का कोई पुनरुत्पादन (चाहे बढ़े हुए हों या नहीं); और (iv) कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।

28. इसी प्रकार, 'सार्वजनिक' का शब्दकोश अर्थ किसी देश या समुदाय के सभी लोगों से संबंधित या उससे संबंधित है और "प्राधिकरण" का अर्थ है प्रवर्तन, आज्ञाकारिता, निकाय के अधिकार और व्यक्तिगत प्रभाव रखने की शक्ति। तथापि, लोक प्राधिकरण को धारा 2(ज) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है -

"लोक प्राधिकरण" से स्थापित या गठित स्वशासन का कोई प्राधिकरण या निकाय या संस्था अभिप्रेत है-

A. संविधान द्वारा या उसके अधीन;

B. संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा:

C. समुचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा, और इसमें कोई भी शामिल है-

1. निकाय स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित;

2. गैर-सरकारी संगठन उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित होते हैं।"

29. धारा 2 (जे) के अनुसार, "सूचना का अधिकार" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना का अधिकार जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में है और इसमें निम्नलिखित का अधिकार शामिल है- (i) कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण; (ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां लेना; (iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना; और (iv) डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस में संग्रहीत है। इसी तरह, धारा 2 (एन) "तीसरे पक्ष" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है नागरिक के अलावा एक व्यक्ति जो सूचना के लिए अनुरोध करता है और इसमें एक सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल है।

30. जैसा कि स्पष्ट है, धारा 3 में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा और सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्वों को अधिनियम की धारा 4 में सूचीबद्ध अपने सभी रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए। धारा 5 से 7 सूचना प्राप्त करने के लिए लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम, अनुरोध और निपटान की विधि को विनियमित करती है।

31. इसी तरह धारा 8 (अधिनियम की धारा 1 सूचना के प्रकटन से छूट से संबंधित है।

इस धारा के परंतुक का अधिभावी प्रभाव है कि वह सूचना, जिसे संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया

जाएगा।

32. उप-धारा (2) में प्रावधान है कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में किसी बात के होते हुए भी और न ही उपधारा (1) के अनुसार अनुमेय किसी भी छूट के बावजूद, एक सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है, यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हितों को नुकसान पहुंचाता है।

33. इसके परिणामस्वरूप, धारा 11 यह मानती है कि जहां एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के तहत किए गए अनुरोध पर किसी भी जानकारी या रिकॉर्ड या उसके हिस्से का खुलासा करने का इरादा रखता है, जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या उसके द्वारा आपूर्ति की गई है और उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, अनुरोध प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर ऐसे तृतीय पक्ष को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित सूचना देगा कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना या अभिलेख, या उसके भाग का खुलासा करने का इरादा रखता है, और तीसरे पक्ष को लिखित रूप में या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है, इस बारे में कि क्या जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए, और तीसरे पक्ष के ऐसे प्रस्तुतीकरण को जानकारी के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाएगा।

34. इसी क्रम में, धारा 24 में कहा गया है कि इस अधिनियम में निहित कुछ भी दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगा, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संगठन हैं या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई कोई जानकारी है।

फिर, इस धारा के परंतुक का अभिभावी प्रभाव है कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को इस उप-धारा के तहत बाहर नहीं रखा जाएगा। इसका अर्थ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम देश के लोकतांत्रिक गणराज्य में व्यापक जनहित के लिए नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की वैयक्तिक व्यवस्था की घोषणा करने और सृजित करने के लिए बनाया गया था।

35. याचिकाकर्ता-संस्थानों के लिए विद्वान वकील का प्रसिद्ध तर्क कि केवल वही प्राधिकरण सरकार द्वारा स्थापित या गठित सार्वजनिक प्राधिकरण के दायरे में आएंगे, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है और विशेष रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा स्थापित और गठित है, क्योंकि धारा 2 (एच) के खंड (डी) के उप-खंड (i) और (ii) को सामूहिक रूप से समझा जाना चाहिए और नहीं किया जा सकता है अलग से पढ़ा जाए, तो यह न केवल योग्यता से रहित है, बल्कि इस संबंध में गलत भी है

36. संभवतः इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत परिकल्पित सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा को सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए और इस धारा के खंड (डी) के उप-खंड (i) और (ii) को स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इस संबंध में 'शामिल' शब्द का एक महत्वपूर्ण अर्थ और महत्व है, जो यह बताता है कि जहां भी कोई विषय वस्तु कानून के मुख्य भाग के साथ व्यक्त नहीं की जाती है, ऐसे मामलों का निर्धारण कठोर अवयवों को पिघलाकर इसके दायरे में लाया जाता है और 'शामिल' शब्द इस उद्देश्य को पूरा करता है। इसलिए, मेरे विचार से सूचना का अधिकार अधिनियम लोक प्राधिकरणों की विभिन्न श्रेणियों की परिकल्पना करता है। वे सभी प्राधिकरण, निकाय या संस्थाएं, स्व-सरकारी संगठन, जो संविधान द्वारा या उसके तहत या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा या समुचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित या गठित किए गए हैं, पहली श्रेणी में आते हैं, जबकि दूसरे भाग में, "सार्वजनिक प्राधिकरण" को किसी भी निकाय के स्वामित्व में शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, (ii) समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित नियंत्रित अथवा गैर-सरकारी संगठन। इस तरह, धारा 2 (एच) का बाद का हिस्सा आरटीआई अधिनियम के अर्थ के भीतर सार्वजनिक प्राधिकरण की एक स्वतंत्र और अतिरिक्त श्रेणी लाता है।

37. उद्देश्यों, उद्देश्यों और व्यापक जनहित से संबंधित पूर्वोक्त उपबंधों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलेगा कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा या समुचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा संविधान के तहत स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय या स्वशासन संस्था और इसमें स्वामित्व वाला कोई निकाय शामिल है, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित और गैर-सरकारी संगठन, जो उचित सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित हैं, आरटीआई अधिनियम के अर्थ के भीतर सार्वजनिक प्राधिकरण हैं।

38. इस प्रकार, खंड (ए) से (सी) में दर्शाए गए सरकार द्वारा स्थापित या गठित अधिकारियों के अलावा और किसी भी प्राधिकरण, निकाय के स्वामित्व, नियंत्रित और गैर-सरकारी संगठन को उप-खंड (i) और (ii) में उल्लिखित उपयुक्त सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया गया है (d) अधिनियम की धारा 2 (h) के तहत प्रदान किए गए अनुसार स्वतंत्र रूप से सार्वजनिक प्राधिकरण के दायरे में आता है और कानूनी रूप से प्रदान करने के लिए आवश्यक है शिकायतकर्ताओं को सूचना।

39. इस प्रकार कानूनी स्थिति और रिकॉर्ड पर सामग्री होने के नाते, अब छोटा और महत्वपूर्ण

प्रश्न, हालांकि महत्वपूर्ण है, जो तत्काल याचिकाओं में निर्धारण के लिए उठता है, यह है कि क्या याचिकाकर्ता-संस्थानों में उचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित स्वामित्व वाले, नियंत्रित या गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं या नहीं, जैसा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया है?

40. पक्षकारों के विद्वान वकीलों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों को ध्यान में रखते हुए, मेरे लिए, उत्तर स्पष्ट रूप से सकारात्मक होना चाहिए और संकेतित संस्थान सार्वजनिक प्राधिकरण हैं और इस संबंध में आरटीआई अधिनियम के दायरे में आते हैं।

41. यहां जो विवादित नहीं है वह यह है कि याचिकाकर्ता-संस्थान (सहकारी समितियां, बैंक और चीनी मिल) (क्रम संख्या 1 से 8 पर) पंजाब/हरियाणा सहकारी समिति अधिनियमों के प्रावधानों द्वारा पंजीकृत और शासित हैं। चूंकि इन अधिनियमों के प्रावधान पैरा मैटेरिया हैं, समान हैं और लगभग एक ही शासन को कवर करते हैं, इसलिए, इस संबंध में इस दिशा में पंजाब सहकारी समिति अधिनियम के कुछ प्रावधानों का संदर्भ दिया जा सकता है। देश में सहकारी आंदोलन के विकास के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से सहकारी कानून और प्रक्रिया के अनुरूप भारत सरकार की नीति के अनुसरण में, सहकारी समिति अधिनियमों में सामान्यत अनेक नए प्रावधान लागू करके और सहकारी निधि, लेखा परीक्षा, अधिभार, सहकारी समिति, अधिभार, सहकारी समिति, सहकारी विशेष रूप से अपराध और दंड आदि। इस अधिनियम की धारा 2 उपनियमों, समितियों, सहकारी समिति, सरकार, अधिकारी, रजिस्ट्रार आदि को परिभाषित करती है। अध्याय II सहकारी समितियों के पंजीकरण, रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों के नियंत्रण और उनकी शक्तियों से संबंधित है।

42. धारा 3 के अनुसार, केवल सरकार ही राज्य के लिए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है और रजिस्ट्रार की सहायता के लिए इतनी संख्या में अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार और अन्य व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं। सरकार के पास किसी भी व्यक्ति या रजिस्ट्रार की किसी भी शक्ति को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदान करने की पूर्ण शक्ति है। उप-धारा (2) के तहत नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रार के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। प्रत्येक सहकारी समिति को धारा 4 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है और धारा 5 के तहत उनके पंजीकरण पर प्रतिबंध हैं और पंजीकरण की विधि उक्त अधिनियम की धारा 6 से 9 के तहत प्रदान की गई है।

43. धारा 10 से 13 में कहा गया है कि सहकारी समिति के किसी उपनियम का कोई संशोधन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के तहत ऐसा संशोधन पंजीकृत नहीं किया गया हो। यहां तक कि समाज नाम और दायित्व बदलने वाले उप-नियमों में संशोधन नहीं कर सकता है और यह रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति के बिना सहकारी समितियों के समामेलन, परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, देयता और विभाजन को नहीं कर सकता है।

44. धारा 15 व्यक्ति को समाज का सदस्य होने के लिए योग्यता प्रदान करती है। अध्याय VII सोसायटी के रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा, पूछताछ, अधिभार और निरीक्षण से संबंधित है, जबकि उक्त अधिनियम की धारा 55 और 56 सरकार द्वारा नियुक्त नौकरशाह (आईएएस) रजिस्ट्रार द्वारा सदस्यों और समितियों के बीच विवादों के निर्धारण से संबंधित है। अध्याय IX सहकारी समितियों के समापन से संबंधित है जबकि अध्याय X रजिस्ट्रार द्वारा अवार्ड से पहले अधिनिर्णय, डिक्री, आदेशों और संपत्ति की कुर्की के निष्पादन का तंत्र प्रदान करता है।

45. धारा 66 आगे यह मानती है कि रजिस्ट्रार या उसके द्वारा सशक्त कोई अन्य व्यक्ति जब इस अधिनियम के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग करता है तो कुर्की और बिक्री द्वारा या किसी भी संपत्ति की कुर्की के बिना बिक्री द्वारा किसी भी राशि की वसूली के लिए और सिविल कोर्ट होने के लिए ऐसी वसूली की एक कदम-सहायता लेने के लिए। सभी विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाया जाना है। अपीलों और पुनरीक्षणों का निर्णय नौकरशाहों (आईएएस) (अपीलीय प्राधिकारियों) द्वारा किया जाना है, जैसा कि अधिनियम के अध्याय XI के तहत विचार किया गया है। सहकारी समिति अधिनियम राज्य सरकार को समिति की शेयर पूंजी में सीधे सदस्यता लेने और अन्य समिति के हिस्से के उद्देश्य के लिए इसे मौद्रिक सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाता है। राज्य सरकार अपने धन से समाज को सीधे नियंत्रित कर रही है और इसमें अप्रत्यक्ष भागीदारी है।

46. इतना ही नहीं, रिकॉर्ड के नंगे अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता-संस्थान पंजाब/हरियाणा सहकारी समिति अधिनियमों के प्रावधानों के तहत पंजीकृत हैं और सभी चीनी मिलों को नीतिगत निर्णय आदि के संबंध में शुगरफेड द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

सरकार ने चीनी मिलों की मशीनरी खरीदने के संबंध में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जारी किया है और बातचीत की है, महाप्रबंधक शुगरफेड के प्रभारी संवर्ग अधिकारी हैं। संबंधित सरकारों ने याचिकाकर्ता-संस्थानों को वित्त पोषित करने के लिए सहायता प्राप्त योजनाएं तैयार की हैं जैसे कि सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, आईडीपी परियोजना, एनसीडीटी योजना आदि शेयर पूंजी के रूप में अन्य धन प्रदान करने के अलावा। इसके अलावा, याचिकाकर्ता-संस्थान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं। प्रबंध निदेशक और सरकारी अधिकारियों का सिरसा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (क्रम संख्या 6 पर) पर सीधा प्रशासनिक नियंत्रण है, जिसे कई योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित भी किया जाता है। दुग्ध संघ की पोस्टिंग और स्थानांतरण की सभी गतिविधियों को एमडी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो एक आईएएस अधिकारी हैं। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सिविल सेवा (HCS) अधिकारी को नियुक्त किया। इसके कर्मचारियों का चयन और नियुक्ति हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड और हरियाणा सिविल सेवा आयोग द्वारा की जाती है। इसलिए, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं, कार्य करती हैं और सहकारी समिति अधिनियमों के माध्यम से समुचित सरकारों द्वारा नियंत्रित निकाय हैं।

47. अब पहले प्रश्न के निर्धारण के लिए विज्ञापन देते हुए, कि क्या अन्य याचिकाकर्ता-संस्थान (गीता गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहित मॉडल स्कूल और सैनी एजुकेशन सोसाइटी-स्कूल) (क्रम संख्या 9,10 और 11 पर) उपयुक्त सरकार के स्वामित्व और नियंत्रित निकाय / इस संबंध में, वे शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों द्वारा विनियमित, नियंत्रित और शासित हैं, जो पूरे हरियाणा राज्य पर लागू है, जिसकी धारा 2, 'संबद्धता' को परिभाषित करती है और 'सहायता' का अर्थ है सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सरकार द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल को दी गई सहायता, निदेशक या स्थानीय प्राधिकरण। 'सहायता प्राप्त स्कूल' का अर्थ है एक मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, जो सरकार से अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त कर रहा है।

48. इसी तरह, "उपयुक्त प्राधिकारी" को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कि सरकार द्वारा नामित या प्रायोजित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त स्कूल के मामले में, वह प्राधिकरण; मान्यता प्राप्त निजी सहायता प्राप्त स्कूलों को अनुदान के वितरण के मामले में, प्राधिक

निदेशक द्वारा नामित। 'बोर्ड-1 से अभिप्रेत है स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, या कोई अन्य बोर्ड जिसे राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे। "निदेशक 11 का अर्थ है निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, जैसा भी मामला हो, और इसमें इस संबंध में सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी शामिल है। "स्कूल 11 में एक प्राथमिक, मैडल, हाई या सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल है और इसमें कोई अन्य संस्थान भी शामिल है जो डिग्री स्तर से नीचे की शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करता है और सचिव 11 का अर्थ है सचिव, सरकार, हरियाणा शिक्षा विभाग।

49. इसी प्रकार, धारा 3 में कहा गया है कि सरकार इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षा को विनियमित कर सकती है। सरकार राज्य में किसी भी स्कूल की स्थापना और रखरखाव कर सकती है या किसी भी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन राज्य में किसी भी स्कूल को स्थापित करने और बनाए रखने की अनुमति दे सकती है। इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् और भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड *(1)* के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य में नए स्कूल की स्थापना या उच्चतर कक्षा खोलना या विद्यमान कक्षा को बंद करना , इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन और कोई नया स्कूल या उच्चतर कक्षा स्थापित या खोला गया इस अधिनियम के उपबंध, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं की जाएगी, (धारा 2 के तहत परिभाषित),

50. प्रत्येक स्कूल को धारा 4 के तहत अपनी मान्यता के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के पास आवेदन करना होगा और किसी भी स्कूल को तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक कि उसमें उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। अधिनियम की धारा 5 का अधिभावी प्रभाव है, जो यह मानता है कि किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, जो इस तरह के किसी भी कानून के आधार पर लागू है या किसी भी उपकरण में, प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल की प्रबंध समिति इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार और उपयुक्त प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ, ऐसे स्कूल के लिए प्रबंधन की एक योजना और यहां तक कि एक मान्यता प्राप्त निजी स्कूल के मामले में जो कोई सहायता प्राप्त नहीं करता है, प्रबंधन की योजना ऐसे बदलावों और संशोधनों के साथ लागू होगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

51. धारा 6 मान्यता प्राप्त स्कूलों को सहायता अनुदान से संबंधित है, जबकि सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें हैं

धारा 8 द्वारा शासित हैं। धारा 9 के अनुसार, सहायता प्राप्त स्कूल का प्रत्येक कर्मचारी ऐसी आचार संहिता द्वारा शासित होगा जो निर्धारित की जा सकती है और ऐसी आचार संहिता के किसी भी

प्रावधान के उल्लंघन पर, कर्मचारी ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

52. सबसे बढ़कर, सरकार के पास धारा 10 के अंतर्गत यथा अपेक्षित सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने की समग्र शक्ति और नियंत्रण है, जो निम्नानुसार है -

1. *यदि निदेशक का यह समाधान हो जाता है कि प्रबंध समिति या प्रबंधक किसी वित्तीय अनियमितता या प्रशासनिक कुप्रबंधन में लिप्त है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित अपने कर्तव्यों में से किसी का पालन करने में उपेक्षित है और यह कि ऐसे स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में लेना स्कूल शिक्षा के हित में समीचीन है, वह ऐसे स्कूल की प्रबंध समिति या प्रबंधक को प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद, ऐसे स्कूल के प्रबंधन को दो साल से अधिक की सीमित अवधि के लिए ले सकता है:*

   परन्तु जहाँ किसी विद्यालय का प्रबन्ध दो वर्ष या उससे कम अवधि के लिये अपने हाथ में ले लिया गया है वहाँ निदेशक, यदि उसकी यह राय है कि विद्यालय का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिये यह समीचीन है कि ऐसा प्रबन्धन उक्त सीमित अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी प्रवृत्त बना रहे, तो वह समय-समय पर, तथापि, ऐसी अवधि के लिए ऐसे प्रबंधन को जारी रखने के लिए निर्देश जारी करना, जो एक समय में एक वर्ष से अनधिक हो, तथापि, वह कुल अवधि, जिसके लिए ऐसा प्रबंधन लिया गया है, किसी भी स्थिति में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. *जब कभी किसी स्कूल का प्रबंधन उपधारा (1) के अधीन अपने हाथ में ले लिया जाता है तो ऐसे स्कूल के प्रबंधन का प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति उसके प्रबंधन को अपने हाथ में लेने से ठीक पहले, निदेशक या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी को स्कूल संपत्ति का कब्जा देगा*

3. *इस धारा के तहत किसी भी स्कूल का प्रबंधन लेने के बाद सरकार निदेशक द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति (इसके बाद "प्रशासक" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से स्कूल का प्रबंधन करने की व्यवस्था कर सकती है।*

4. *जहां किसी स्कूल का प्रबंधन उपधारा (जे) के अधीन अपने हाथ में ले लिया गया है वहां ऐसे स्कूल की प्रबंध समिति या प्रबंधक सचिव को अपील करने की तारीख से तीन मास के भीतर अपील कर सकेगा, जो प्रबंध समिति या प्रबंधक द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जिसके अंतर्गत प्रबन्ध की बहाली के लिए या उस अवधि को कम करने का आदेश भी है जिसके दौरान ऐसे स्कूल का प्रबन्ध करेगा निदेशक में निहित रहें, जैसा कि वह उचित समझे।*

5. *जहां इस धारा के अधीन किसी स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया गया है वहां सरकार*

स्कूल का भवन प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को ऐसा किराया या स्कूल का भवन संदाय करेगी जो ऐसे स्कूल का प्रबंध लेने से ठीक पहले प्रबंध समिति या प्रबंधक द्वारा अदा किया जा रहा था।

6. *ऐसी अवधि के दौरान जैसा कि कोई भी स्कूल एक प्रशासक के प्रबंधन के अधीन रहता है-*

   A. *स्कूल के कर्मचारियों के निदेशक द्वारा अनुमोदित सेवा शर्तें, जो उस तारीख से ठीक पहले रोजगार में थीं, जिस पर प्रबंधन को संभाला गया था, उनके नुकसान पर भिन्न नहीं किया जाएगा:*

   B. *सभी शैक्षिक सुविधाएं जो स्कूल इस तरह के प्रबंधन को संभालने से ठीक पहले खर्च कर रहा था, उन्हें वहन किया जाना जारी रहेगा:*

   C. *स्कूल फंड, छात्र निधि, और कोई अन्य मौजूदा फंड जारी रहेगा जो स्कूल के उद्देश्य के लिए खर्च किए जाने के लिए प्रशासक को उपलब्ध होगा; और*

   D. *ऐसे स्कूल की प्रबंध समिति की किसी भी बैठक में पारित कोई भी संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि निदेशक द्वारा अनुमोदित न हो।"*

53. इसी तरह, अध्याय V सरकार को याचिकाकर्ता-स्कूलों के कर्मचारियों की भर्ती और आचार संहिता के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार देता है। अध्याय-VI में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्कूलों में प्रवेश, फीस, अन्य प्रभार, निधियां और संबंधन सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। धारा 21 राज्य प्राधिकारियों द्वारा स्कूलों के निरीक्षण से संबंधित है। शिक्षा अधिनियम की धारा 22 के तहत सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र वर्जित है। धारा 24 *राज्य* सरकार को अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है।

54. इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार ने अर्हक सेवा, सेवानिवृत्ति लाभ, व्यवधान की शर्तें, अधिवषता पेंशन, क्षतिपूत, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान, परिवार पेंशन और देयताओं के समायोजन आदि को विनियमित करने के लिए नियम, 2001 तैयार किए हैं। फिर से, याचिकाकर्ता स्कूल हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के प्रावधानों के अधीन हैं।

55. इसके अलावा, याचिकाकर्ता मॉडल स्कूल और सैनी एजुकेशन सोसाइटी स्कूल, रोहतक (क्रमशः क्रम संख्या 10 और 11 पर) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के प्रावधानों द्वारा पंजीकृत, शासित, विनियमित और नियंत्रित हैं।

56. इसी क्रम में, याचिकाकर्ता-पीसीए (क्रम संख्या 12 पर), जालंधर जिमखाना (क्रम संख्या 13 पर), सीएलटीए (क्रम संख्या 14 पर), और सतलुज क्लब (क्रम संख्या 15 पर) भी

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों द्वारा पंजीकृत, शासित और विनियमित हैं और कानूनी रूप से इस अधिनियम की धारा 2 के तहत एसोसिएशन के ज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए आवश्यक हैं।

57. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 3 में सोसायटी के पंजीकरण और शुल्क की विधि प्रदान की गई है। धारा 4 में कहा गया है कि ऐसी प्रत्येक सोसाइटी को नियमों के अनुसार और नियमों के अभाव में, जनवरी के महीने में समाज की वार्षिक आम बैठक बुलानी आवश्यक है। संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास राज्यपालों, परिषद, निदेशकों, समिति, या अन्य शासी निकाय के नाम, पते और व्यवसायों की एक सूची दर्ज की जानी चाहिए, जिसे तब के मामलों के प्रबंधन के साथ सौंपा गया था । धारा 5 के अनुसार, चल और अचल संपत्ति, इस अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी से संबंधित है। अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रत्येक सोसायटी धारा 6 के तहत अध्यक्ष, अध्यक्ष या प्रधान सचिव या ट्रस्टी के नाम पर मुकदमा कर सकती है या मुकदमा दायर कर सकती है। धारा 8 समाज के खिलाफ निर्णय के प्रवर्तन से संबंधित है। धारा 9 उपविधि के अधीन शास्ति की वसूली की विधि और तंत्र तथा धारा 11 के अधीन अजनबी के रूप में दंडनीय अपराधों के दोषी समाज के सदस्यों का उपबंध करती है। धारा 12 यह मानती है कि समाज विधि को छोड़कर अपने उद्देश्यों को बदलने, विस्तारित करने या कम करने में सक्षम है। सोसाइटियों के विघटन और उनके मामलों के समायोजन के प्रावधान धारा 13 और 14 द्वारा शासित होते हैं। धारा 15 सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता प्रदान करती है। धारा 16 शासी निकाय को परिभाषित करती है। धारा 19 दस्तावेजों और प्रमाणित प्रतियों के निरीक्षण से संबंधित है। धारा 20 अधिनियम के आवेदन को प्रस्तुत करती है।

58. श्री अजय हसिया आदि के मामले में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्णय लिया** *था।*(**16)** ने अपने निर्णय में यह व्यवस्था दी है कि संविधान के अनुच्छेद 12 और 226 के प्रयोजन के लिए निगम का सृजन संविधि द्वारा किया गया है या संविधि के अधीन किया गया है। परीक्षण यह है कि क्या यह सरकार का एक साधन या एजेंसी है और यह नहीं है कि इसे कैसे बनाया जाता है। जांच इस बात की नहीं होनी चाहिए कि न्यायिक व्यक्ति का जन्म कैसे हुआ बल्कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इसे अस्तित्व में क्यों लाया गया। निगम एक क़ानून द्वारा बनाया गया एक वैधानिक हो सकता है या यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी अन्य समान क़ानून के तहत पंजीकृत एक सोसायटी हो सकती है। चाहे इसकी आनुवंशिक उत्पत्ति हो, यह अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक 'प्राधिकरण' होगा यदि यह सरकार का एक साधन या एजेंसी है और इसे प्रासंगिक कारकों के प्रकाश में तथ्यों के उचित मूल्यांकन पर तय करना होगा। सरकार के साधन या एजेंसी की अवधारणा एक क़ानून द्वारा बनाए गए निगम तक सीमित नहीं है, बल्कि एक कंपनी या समाज पर समान रूप से लागू होती है। इसी सिद्धांत पर, डीएवी कॉलेज प्रबंधन समिति द्वारा संचालित मेहर चंद पॉलिटेक्निक कॉलेज को **सीएल कोचर**

बनाम **पंजाब राज्य और अन्य (17) मामले में इस न्यायालय द्वारा रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।**

59. इसके अलावा, रवांसेट कौर **बनाम** *क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, लुधियाना, (18)* **(16) 1980 एसएलआर 467 (ईबी) (17) 1992 (2) एसएलआर 496** के मामले में इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ

(18) 1997 (3) एससीटी 210 = एआईआर 1998 पीबी और एचवाई। मैं

माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि चूंकि ऐसी संस्थाएं सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करती हैं, इसलिए इन्हें निजी व्यक्ति नहीं माना जा सकता है, जो विशेषाधिकार रिट सहित निर्देश जारी करने में न्यायालय की शक्तियों को सीमित करता है। आगे यह भी कहा गया है कि एक बार जब संस्थान किसी भी वित्तीय सहायता के बावजूद शिक्षा प्रदान करने में सार्वजनिक कार्य कर रहे हैं, जिससे समाज के एक बड़े हिस्से का जीवन प्रभावित हो रहा है और इसके अलावा पर्याप्त अनुदान सहायता प्राप्त हो रही है, तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि ऐसे संस्थान सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं हैं।

60. इस तरीके से, संकेतित अधिनियमों की संपूर्ण धाराओं, योजनाओं और अधिदेश को पुन: प्रस्तुत करने के बजाय, कानूनी स्थिति और पुनरावृत्ति से बचने के लिए, यह कहने के लिए पर्याप्त है, न केवल याचिकाकर्ता-संस्थान संभवतः अस्तित्व में नहीं आ सकते हैं, लेकिन वे किसी भी तरह से, उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त नौकरशाह अधिकारियों द्वारा जारी अनुमोदन या निर्देश के बिना और अधिनियमों के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन किए बिना कार्य नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है, याचिकाकर्ता- संस्थाएं निश्चित रूप से राज्य सरकारों द्वारा उपर्युक्त अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के माध्यम से नियंत्रित निकाय हैं, जैसा कि यहां पहले चर्चा की गई है। उस स्थिति में, यह संभवतः यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता-संस्थान आरटीआई अधिनियम के अर्थ के भीतर राज्य सरकार द्वारा स्थापित या गठित नहीं किए गए हैं या निकाय नहीं हैं, पर्याप्त रूप से वित्तपोषित और नियंत्रित नहीं हैं, जैसा कि उनकी ओर से आग्रह किया गया है।

61. स्थिति का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता संस्थानों के विद्वान वकील ने एक और दिलचस्प विवाद उठाया कि चूंकि सोसायटियों/बैंकों/चीनी मिलों (क्रम संख्या 1 से 8 पर) में सरकार की शेयर पूंजी 50% से कम है और अन्य याचिकाकर्ता-संगठनों (क्रम संख्या 9 से 15 पर) में, वित्तीय सहायता पर्याप्त नहीं है, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि इन संस्थानों में स्वामित्व, नियंत्रण या गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं जो समुचित सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं। पहली बार में, तर्क दिखाई दिया . बहुत ही आकर्षक होने के लिए, लेकिन जब रिकॉर्ड पर सामग्री के संबंध में इसका विश्लेषण किया गया था, तो मैं यह देखे बिना नहीं रह सकता कि विवाद तर्कसंगत नहीं है।

62. जहां तक सोसायटियों/बैंकों/चीनी मिलों को वित्तीय सहायता का संबंध है, यह रिकॉर्ड में आया है कि सरकार की शेयर पूंजी क्रम संख्या 5 के मामले में 36%, क्रम संख्या 4 के मामले में 12.13% और क्रम संख्या 8 के मामले में 12.54 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी में से 83.33 लाख रुपये है।

63. अब याचिकाकर्ता-गीता गर्ल्स स्कूल (क्रम संख्या 9 पर) को वित्तीय सहायता का विज्ञापन कर रहे हैं। रिकॉर्ड के नंगे अवलोकन से पता चलता है (जैसा कि एसआईसी द्वारा देखा गया है) कि याचिकाकर्ता-स्कूल को जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र से वर्ष 2008-09 और

2009-10 के लिए वित्तीय सहायता के रूप में क्रमशः 2,37,912.1.86,931 और 1,58,760 रुपये की राशि मिली थी। इसे वर्ष 2007-08 के लिए एमपीलैड योजना से 4 लाख रुपये की राशि भी प्राप्त हुई है। भवन निर्माण के उद्देश्य से स्कूल को 15 लाख रुपये की एक और राशि भी स्वीकृत और जारी की गई।

64. जहां तक मॉडल स्कूल (क्रम संख्या 10 पर) का संबंध है, बेशक, उपायुक्त इसके अध्यक्ष हैं। वह न केवल समाज और उसकी कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता करता है, बल्कि नियमों और विनियमन के नियम 21 के तहत स्कूल के मामलों के कामकाज और इसकी गतिविधि की निगरानी भी करता है। इस सोसायटी के नियम 4 के अनुसार। प्रबंधक। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (संक्षेप में "हुडा"), कार्यकारी अधिकारी, नगर आयुक्त, सहायक अभियंता, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) और सार्वजनिक स्वास्थ्य, निदेशक, पीजीआईएमएस, रोहतक अपनी पदेन क्षमता में सोसायटी और कार्यकारी समिति के संस्थापक सदस्य हैं । एसआईसी ने आक्षेपित आदेश में देखा है कि वास्तव में, याचिकाकर्ता-स्कूल की स्थापना रोहतक के तत्कालीन डीसी श्री एचडी शौरी द्वारा की गई थी। इस तरह, याचिकाकर्ता-स्कूल के सभी मामलों को सरकारी अधिकारियों, नौकरशाहों और इंजीनियरों द्वारा गहराई से प्रबंधित और नियंत्रित किया जाता है। इतना ही नहीं, हुडा ने शहर रोहतक के मध्य में सोसाइटी के स्कूल के संचालन के लिए 100 रुपये प्रति वर्ष की नाममात्र लीज राशि पर लीज होल्ड आधार पर नियमों में छूट देकर हुडा भूमि पर 2.26 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्राइम स्कूल भवन को 30 साल की अवधि के लिए आवंटित किया है।

65. इसी प्रकार, याचिकाकर्ता-सैनी एजुकेशन सोसाइटी (क्रम संख्या 11 पर) को 70 लाख रुपये के कुल व्यय में से सरकार से 43 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान प्राप्त हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता-सोसायटी को स्वीकृत पदों के वेतन का 75% सरकारी अनुदान प्राप्त हो रहा है, जो समाज के स्कूलों के पक्ष में जारी किया गया था। यह पांच शैक्षणिक संस्थानों का मालिक है और उनका प्रबंधन करता है और राज्य सरकार द्वारा लेखा परीक्षा करता है। इसमें सामान्य बजट और एकल बैलेंस शीट है। इससे पहले सोसायटी ने एसपीआईओ को भी नियुक्त किया है, जो विभिन्न सूचना मांगने वालों को सूचनाएं प्रदान करता है।

66. मामला यहीं शांत नहीं हुआ। एसआईसी ने पहले इस याचिकाकर्ता-सोसायटी को कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में जानकारी देने का निर्देश दिया था। एसआईसी के आदेश से असंतुष्ट, याचिकाकर्ता-समाज ने 2009 की सीडब्ल्यूपी संख्या 3144 दायर की, जिसे इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ (कंवलजीत सिंह अहलूवालिया, जे) द्वारा 14 दिसंबर, 2009 के आदेश के माध्यम से निपटाया गया, जो सार रूप में निम्नानुसार है:

"सैनी एजुकेशन सोसाइटी, रोहतक ने इस अदालत से अनुरोध किया है कि राज्य सूचना आयोग, हरियाणा द्वारा पारित आदेश (अनुलग्नक पी-9) दिनांक 29 जनवरी, 2009 को रद्द किया जाए, जहां याचिकाकर्ता सोसाइटी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कवर किया गया है।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 3 की संतुष्टि के लिए सभी जानकारी 24 दिसंबर, 2009 को सुबह 10.00 बजे उन्हें सौंप दी जाएगी।

श्री चंदर भान सैनी, प्रतिवादी नंबर 3, जो अदालत में मौजूद हैं, प्रस्तुत करते हैं कि एक सार्वजनिक उत्साही व्यक्ति के रूप में वह वर्तमान मुकदमे का पीछा कर रहे हैं और उन्हें लागत में कोई दिलचस्पी नहीं है, और प्रबंधन में, वह लागत को छोड़ देंगे।

याचिकाकर्ता के वकील प्रतिवादी नंबर 3 की उदारता के सामने झुकते हैं और कहते हैं कि प्रतिवादी नंबर 3 को सारी जानकारी प्रदान की जाएगी।

याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर, वर्तमान याचिका में कुछ भी नहीं बचा है और इसका निपटारा किया गया है।

67. इसलिए, जब तक इस सोसाइटी ने एसपीआईओ की नियुक्ति की है और अन्य सूचना मांगने वालों को सूचनाएं प्रदान की हैं, उस स्थिति में, अब इसे इनकार करने से रोक दिया गया है और संभवत यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि आरटीआई अधिनियम उस पर लागू नहीं होता है।

68. अब याचिकाकर्ता-पीसीए (क्रम संख्या 12 पर) के मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि यह मनोरंजन कर से कर छूट का आनंद ले रहा है, जो राज्य द्वारा इसे प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता है। हालांकि एसआईसी ने शिकायतकर्ता-सूचना मांगने वाले की दलील को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन

मेरे विचार से, एसआईसी इस संबंध में गहरी कानूनी गलती में फंस गया है, क्योंकि पीसी ए मनोरंजन कर की छूट से भारी राशि बचा रहा है, जो स्वाभाविक रूप से सरकार द्वारा वित्तीय सहायता का एक मामला है। इसके अतिरिक्त, पीसीए को एसआईसी द्वारा यथा धारित निम्नलिखित तरीके से समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है -

1. *एसएएस नगर मोहल्ल के सेक्टर 63 में 13.56 एकड़ जमीन*

   पंजाब सरकार द्वारा पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को 100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष के टोकन किराए पर पट्टे पर दिया गया था। पट्टे की अवधि 16 जून, 1992 से शुरू होकर 99 वर्ष है। लीज एग्रीमेंट के अनुसार पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को इस जमीन पर क्रिकेट स्टेडियम और क्लब हाउस बनाने का अधिकार दिया गया है।

2. *पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोग के समक्ष पेश दस्तावेजों के अनुसार, 31 मार्च, 1997 तक उसे पुडा (1015 लाख रुपये) से 1107 लाख रुपये का अनुदान मिला है। पंजाब स्पोर्ट्स काउंसिल (15 लाख रुपये) और पंजाब स्मॉल सेविंग (77 लाख रुपये)। यह भी कहा गया है कि पीसीए ने बीसीसीआई और अपने संसाधनों जैसे मैचों, वाणिज्यिक आय/विज्ञापन/स्पांसरशिप आदि से 2026.66 लाख रुपये जुटाए हैं।*

3. *पीसीए के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मुख्य लेखा अधिकारी, पुडा को संबोधित 21 अगस्त, 1998 के एक पत्र में कहा गया है कि एसोसिएशन को आज तक पुडा से निम्नलिखित राशियां प्राप्त हुई हैं*

   A. *क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण- 8.50 करोड़ रुपये*

   B. *क्लब हाउस का निर्माण- 1.65 करोड़ रुपये*

4. *पीयूडीए (तत्कालीन पीएचडीबी) द्वारा पीआईओ, गमाडा, मोहाली को लिखे गए पत्र के अनुसार पीयूडीए/पीएचडीबी (दोनों पूर्ण स्वामित्व वाले पंजाब सरकार के संस्थान) ने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को खेल विभाग के माध्यम से 1015.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी है।*

5. *रिकॉर्ड पर रखी गई विभिन्न बैलेंस शीट/आय और व्यय खातों से पता चलता है कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बीसीसीआई से प्रतिपूर्ति/सब्सिडी, टूर्नामेंट सब्सिडी, टीवी अधिकारों के हिस्सेदारी, सदस्यों से योगदान/प्राप्ति, परिसरों/सुविधाओं से आय और अंतरराष्ट्रीय मैचों से आय आदि के माध्यम से भारी मात्रा में धन कमाया गया है।*

इतना ही नहीं, पंजाब सरकार पुलिस एजेंसियों पर भारी मात्रा में भुगतान खर्च करके हर अवसर और घटना में पीसीए को पूरी सुरक्षा प्रदान कर रही है।

69. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारत और अन्य **बनाम** *नेताजी क्रिकेट क्लब और अन्य (19)* **के मामले में कुछ समान परिस्थितियों से निपटने के दौरान** (पैरा संख्या 80 से 82) निम्नानुसार देखा है:

   "80. बोर्ड तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। इसके संगम ज्ञापन और संगम के अंतनयमों के संदर्भ में क्रिकेट के खेल के विनियमन के संबंध में इसे एकाधिकार का दर्जा प्राप्त है। यह क्रिकेट के खेल को नियंत्रित करता है और इसके लिए कानून बनाता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ कर छूट और नाममात्र वार्षिक किराए पर स्टेडियमों का उपयोग करने के अधिकार के माध्यम से लाभ प्राप्त करता है। यह न केवल दर्शकों को टिकट बेचकर बल्कि टीवी पर लाइव प्रदर्शन करने और उसी का प्रसारण करने का अधिकार भी बेचकर भारी राजस्व कमाता है। सामान्यत भारतीय विश्वविद्यालय संघ, रेलवे खेल नियंत्रण बोर्ड और सेना खेल नियंत्रण बोर्ड को छोड़कर राज्य संघ इसके पूर्ण सदस्य होते हैं।

आईसीसी के सदस्य के रूप में, यह अंतरराष्ट्रीय मंचों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। यह विशाल सार्वजनिक कार्यों का अभ्यास करता है। इसके पास अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों, अंपायरों और अधिकारियों का चयन करने का अधिकार है। यह खिलाड़ियों, अंपायरों और अन्य अधिकारियों पर कुल नियंत्रण रखता है। बोर्ड के नियम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि इसकी मान्यता के बिना देश के भीतर या बाहर किसी भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट की मेजबानी नहीं की जा सकती है। प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के खेल पर इसका नियंत्रण गहरा, व्यापक और पूर्ण है।

(19) एआईआर 2005 एस.सी.

81. *कानून में, इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड अपनी सभी गतिविधियों में निष्पक्षता और 'सद्भावना' के सिद्धांत का पालन करने के लिए बाध्य है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसे लाखों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना है, इसका कर्तव्य है कि वह यथोचित कार्य करे। यह मनमाने, मनमाने ढंग से या मनमाने ढंग से नहीं हो सकता। जैसा कि बोर्ड क्रिकेटरों के पेशे को नियंत्रित करता है, इसके कार्यों को उच्च मानकों द्वारा परखा जाना और देखा जाना आवश्यक है।*

82. *कोई संघ या क्लब जिसने अपने नियम बना लिए हैं वह इस प्रकार बाध्य होता है । ऐसे नियमों को सख्ती से लागू करना अत्यावश्यक है। आवश्यक रूप से, ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों के संदर्भ में पदाधिकारियों को न केवल इसके चारों कोनों के भीतर कार्य करना चाहिए, बल्कि सार्वजनिक भलाई के साथ-साथ क्रिकेट के खेल के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ईमानदार और निष्पक्ष तरीके से अपनी संबंधित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए, यह पूरी तरह से असंभव है कि क्रिकेट के खेल को नियंत्रित करने वाले निकाय को समाज के उद्देश्यों की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए मुकदमों में शामिल होना चाहिए।"*

70. जहां तक याचिकाकर्ता-जालंधर जिमखाना-क्लब (क्रम संख्या 13 पर) के मामले का संबंध है, एसोसिएशन के संविधान ज्ञापन के खंड *21* के अनुसार, संभागीय आयुक्त *पदेन* अध्यक्ष बन जाता है और डीसी क्लब का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन जाता है। याचिकाकर्ता-क्लब के विद्वान वकील ने स्वीकार किया है कि 2001 से तैनात सभी आयुक्तों और उपायुक्तों ने याचिकाकर्ता-क्लब के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदेन नियुक्तियां की हैं। इसके अलावा, निवास आयुक्त, जालंधर डिवीजन से सटी 216344 वर्ग फुट भूमि पंजाब सरकार द्वारा इस क्लब को 889 रुपये प्रति वर्ष के टोकन किराए पर पट्टे पर दी गई थी। आयुक्त के दिनांक 9 जुलाई, 2009 के शपथ पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड के अनुसार यह भूमि आयुक्त, जालंधर मंडल के नाम पर है, जो प्रांतीय सरकार की है और पंजाब लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) विभाग ऐसी सरकारी भूमि का प्रभारी है। क्लब ने सरकारी भूमि पर लगभग

47000 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर किया है। 31 मार्च, 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए क्लब की शुद्ध आय 1,02.84,468.84 रुपये थी। विभिन्न संतुलन / रिकॉर्ड पर रखे गए आय पत्रों और व्यय खातों से पता चलता है कि क्लब द्वारा सदस्यों से योगदान/प्राप्तियों, विभिन्न सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज और परिसरों/सुविधाओं से आय और वित्तीय सहायता के माध्यम से भारी मात्रा में धन उत्पन्न/अर्जित किया गया है। एसआईसी ने माना था कि जालंधर जिमखाना की किटी में उनके मिलियन का तथ्य सीधे भूमि और बाद में पंजाब राज्य द्वारा 889 रुपये प्रति वर्ष की मामूली राशि पर प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार है।

71. जहां तक याचिकाकर्ता-सीएलटीए (क्रम संख्या 14 पर) का संबंध है, चंडीगढ़ प्रशासन सेक्टर 10, चंडीगढ़ में स्टेडियम का मालिक है, जिसमें स्टेडियम से सटे एक भवन और टेनिस कोर्ट के साथ-साथ सीएलटीए को 20 साल की अवधि के लिए पट्टे पर अन्य सुविधाएं शामिल हैं। सीएलटीए अपने मामलों को चला रहा है। यह राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की व्यवस्था कर रहा है। यूटी प्रशासन ने करोड़ों रुपये मूल्य के पूरे परिसर को पट्टे पर दे दिया है और इसके द्वारा देय अल्प किराया केवल 100 रुपये प्रति वर्ष है। प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2008-09 में 1 लाख रुपये की सीएलटीए वित्तीय सहायता में भी योगदान दिया। 30 मार्च के परिपत्र के अनुसार। खेल विभाग द्वारा जारी 2010 में प्रावधान है कि सरकार ने निष्कर्ष निकाला है कि राष्ट्रीय खेल परिसंघ राज्य के कार्य कर रहे हैं और इस कार्य के निष्पादन के लिए सरकारी वित्तपोषण पर निर्भर हैं और सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं। इसलिए, वे आरआईटी अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण हैं। इस संबंध में एसआईसी ने निम्नानुसार टिप्पणी की है -

पीठ ने कहा, 'यह कहने की जरूरत नहीं है कि मौजूदा बाजार दर के हिसाब से इन संपत्तियों की कीमत करोड़ों रुपये होगी। यह सामान्य आधार है कि अगर सीएलटीए खुले बाजार में इन सुविधाओं को किराए पर लेता है, तो सीएलटीए को भुगतान किए जा रहे एक की तुलना में एक बड़ा किराया देना होगा। इसके अलावा, स्वीकार किया गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2008-09 में सीएलटीए के खजाने में लगभग 1 लाख रुपये का भुगतान किया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चंडीगढ़ प्रशासन एक "उपयुक्त सरकार" है और इसने सीएलटीए के निपटान में 100 रुपये प्रति वर्ष के अनुमानित किराये के लिए विशाल बुनियादी ढांचा रखा है। इस मामले को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि सीएलटीए को अप्रत्यक्ष रूप से चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा वित्तपोषित किया गया है।"

72. अब याचिकाकर्ता-सतलुज क्लब, लुधियाना (क्रम संख्या 15 पर) की वित्तीय मदद का संबंध है, एसआईसी ने उल्लेख किया कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, प्रांतीय सरकार के

स्वामित्व वाली भूमि क्लब को दी गई है, जो राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता के बराबर है। यह तथ्य कि जिस बहुमूल्य भूमि पर क्लब का निर्माण किया गया था, वह सरकार की है और इसके द्वारा सरकार को कोई किराया/पट्टे का भुगतान नहीं किया जाता है, यह दर्शाता है कि क्लब को राज्य द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता दी गई है। क्लब को प्रदान की गई प्रमुख भूमि की लागत उसके सामान्य राजस्व व्यय से बहुत अधिक होगी। क्लब भवन के निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई भूमि के अलावा, सरकार ने इसके निर्माण पर व्यय का एक हिस्सा भी वहन किया है। क्लब के संविधान और उपनियमों के नियम 24 के अनुसार, डीसी, लुधियाना हमेशा अपनी पदेन क्षमता में अध्यक्ष होगा । मेरे विचार से, एसआईसी ने दिनांक 8 जुलाई, 2010 के आक्षेपित आदेश (अनुबंध पी-15) के आधार पर रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर तथ्यों के सही निष्कर्ष को दर्ज किया है।

73. बीसीसीटी मामले (सुप्रा) '*इल्युटैटिस म्यूटेंडिस में की गई टिप्पणियां* इन संस्थानों पर भी लागू होती हैं। इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि याचिकाकर्ता-संस्थान न केवल ऊपर वर्णित विभिन्न अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के माध्यम से उपयुक्त सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय हैं, बल्कि उन्हें उचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा भी पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है।

70. जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की सीमा को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता-संस्थानों के लिए विद्वान वकील का अगला कमजोर तर्क कि उपयुक्त सरकारों द्वारा प्रदान की गई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता पर्याप्त नहीं है, जैसा कि आरटीआई अधिनियम के तहत परिकल्पित है, फिर से तर्कसंगत और गलत नहीं है।

71. यहां जो विवादित नहीं है वह यह है कि "पर्याप्त" शब्द को आरटीआई अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है और इसका कोई सीमित या निश्चित अर्थ नहीं है। कानून के प्रयोजन के लिए, इसे अपने सामान्य और प्राकृतिक अर्थों में भ्रष्टाचार को रोकने और आरटीआई अधिनियम के तहत जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शिता प्रदान करने के लिए लक्ष्यों, मौलिक उद्देश्यों और उद्देश्यों से संबंधित माना जाना चाहिए। शायद ही कोई झगड़ा हो कि धन और स्थिति ने न्याय को पटरी से उतारने की शक्ति हासिल कर ली है जो, यदि ईमानदारी और अखंडता के ढांचे के भीतर दिया जाता है, तो यह एक महान तुल्यकारक हो सकता है।

72. जनहित के संदर्भ में देखा जाए तो सरकार जिन निधियों का लेन-देन करती है, वे सार्वजनिक निधियां हैं। वे जनता के हैं। उस स्थिति में, जहां भी सार्वजनिक धन प्रदान किया जाता है, "पर्याप्त रूप से वित्तपोषित" शब्द की व्याख्या संभवतः गणितीय, गणना और

प्रतिशत (%) के संकीर्ण और सीमित शब्दों में नहीं की जा सकती है। जहां कहीं भी सार्वजनिक निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं, वहां पर्याप्त शब्द को तुच्छ शब्द के विपरीत माना जाना चाहिए और जहां निधियन को मामूली राशि के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, तो मेरे लिए यह सार्वजनिक निधियों से आने वाली पर्याप्त धनराशि के बराबर होगा। इसलिए, याचिकाकर्ता संस्थानों को शेयरपूंजी अंशदान या सब्सिडी, भूमि या शुल्क, शुल्क, कर आदि के लिए विभिन्न राजकोषीय प्रावधानों से किसी अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्त पोषण के रूप में जो भी लाभ मिलता है, वह इस संबंध में आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा पर्याप्त वित्त होगा।

73. इसी तरह के सवाल पर केरल उच्च न्यायालय ने **थलपलम सर्विसेज कॉरपोरेशन बैंक** *बनाम***यूनियन ऑफ इंडिया (20) मामले में** विचार किया था।"पर्याप्त" शब्द की व्याख्या करने के बाद, यह निम्नानुसार शासित किया गया (पैरा 27 और 30) -

"27. "पर्याप्त" शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। किसी विधान के प्रयोजन के लिए इसे निश्चित रूप से इसके संदर्भ में समळाा जाना चाहिए। जब तक ऐसी निश्चितता प्रदान नहीं की जाती है, तब तक यह संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर भी आलोचना के लिए अतिसंवेदनशील हो सकता है। देखना ***श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड बनाम एवी विश्वनाथ शास्त्री (एआईआर 1955 एससी)*** *(पृष्ठ 18 पर) शब्द पर्याप्त का अर्थ है - पदार्थ का या होना: एक पदार्थ होना: आवश्यक: आवश्यक में: वास्तव में मौजूदा: वास्तविक: शारीरिक, सामग्री: ठोस और पर्याप्त: विशाल और स्थिर: ठोस रूप से आधारित: टिकाऊ: स्थायी: दृढ़, मोटा, मजबूत: राशि में काफी: अच्छी तरह से करने के लिए: ध्वनि मूल्य का। चेम्बर्स 20 वीं शताब्दी शब्दकोश देखें। वास्तव में, अवधारणा "पर्याप्त" को विभिन्न रंगों में समझा गया है और प्रासंगिक रूप से लागू किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के संबंध में, यह माना गया था कि कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न <u>मतलब कानून का सवाल जिसमें पदार्थ, आवश्यक, वास्तविक है,</u>* (20) 2009 (3) सीसीसी 273 = 2010 (5) आरसीआर (सिविल) 133

महत्वपूर्ण। इसे बिना किसी पदार्थ या परिणाम की तकनीकी, या केवल अकादमिक के विपरीत कुछ के रूप में रेखांकित किया गया था। देखें ***संतोष हजारी*** *बनाम* ***पुरुषोत्तम तिवारी, 2001(3) आरसीआर (सिविल) 243: 1(2001)3 एससीसी 179 जे*** *आयकर अधिनियम के संदर्भ में "पर्याप्त ब्याज" को एक प्रासंगिक निर्माण की आवश्यकता थी, जो बाद की अभिव्यक्तियों के संबंध में पाया गया था, जिसमें वास्तव में पर्याप्त हित का मतलब था। देखें* ***आर. डालमिया*** *बनाम* ***सीआईटी [(1977) 2 एससीसी 467)*** *"ऐसे माल का पर्याप्त हिस्सा", सीमा शुल्क अधिनियम में होने वाली एक अभिव्यक्ति, का अर्थ माल के पर्याप्त हिस्से से समझा गया था, जिसे आयात किए गए माल की मात्रा के साथ-साथ मूल्य को ध्यान में रखते हुए आयात किया गया है। इंडिया* ***स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड देखें****बनाम* ***भारत संघ [(1998) 4 एससीसी 293 जे।*** *पर्याप्त बुद्धिमत्ता का ऐसा स्पेक्ट्रम अनिवार्य रूप से सलाह देता है कि विचाराधीन प्रावधान को कानून के उद्देश्य के कोण से देखा जाना चाहिए और इसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को एक उद्देश्यपूर्ण अनुमोदन के साथ देखा जाना चाहिए। इसका आशय व्यापक सार्वजनिक हितों के साथ-साथ निजी हितों की भी रक्षा करना है। इसका मूल उद्देश्य पारदशता प्रदान करना, भ्रष्टाचार को रोकना और तत्काल जवाबदेही तय करना है। उस संदर्भ में देखा जाए तो सरकार जिन निधियों का लेन-देन करती है, वे सार्वजनिक निधियां हैं। वे अनिवार्य रूप से संप्रभु के हैं। "हम, लोग"। नागरिकों का सामूहिक राष्ट्रीय हित हमेशा राष्ट्रीय धन की चोरी के खिलाफ होता है। इसमें सार्वजनिक धन की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता शामिल है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, जहां कहीं भी सभी प्रकार के सार्वजनिक निधियन सहित निधियां प्रदान की जाती हैं, वहां पर्याप्त शब्द को तुच्छ शब्द के विपरीत समझा जाना चाहिए और जहां निधियन को अल्प राशि के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, वही पर्याप्त निधियन होगा क्योंकि यह सार्वजनिक निधियों से आता है। इसलिए, शेयर पूंजी अंशदान या सब्सिडी या किसी अन्य सहायता के रूप में सोसाइटियों को जो भी लाभ मिलता है, जिसमें अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के प्रावधान शामिल हैं, और साथ ही इससे दी गई छूट भी*

आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के प्रयोजन के लिए शुल्क, शुल्क, कर आदि के लिए विभिन्न राजकोषीय प्रावधान उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों द्वारा स्थायी वित्त के बराबर हैं।

(30) विभिन्न सरकारी आदेशों, नीतिगत दस्तावेजों आदि के सर्वेक्षण से पता चलता है कि जिला सहकारी बैंकों में शेयर पूंजी योगदान के अलावा, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को, केरल स्लेट सहकारी बैंक को और शहरी सहकारी बैंकों आदि में पूंजी भागीदारी के अलावा, विभिन्न क्षेत्रों में सब्सिडी के माध्यम से योगदान है। विभिन्न अन्य प्रकार के वित्त पोषण जैसे एकमुश्त अनुदान और चयनित वित्त

पोषण भी विभिन्न क्षेत्रों को उपलब्ध कराए जाते हैं। किसी भी रिट याचिकाकर्ता के पास यह मामला नहीं है कि उसे इनमें से कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। याचिकाकर्ता इस मामले को बनाए नहीं रख सकते हैं कि उन्हें सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित नहीं किया गया है। मुख्य रूप से, यह धारणा अनिवार्य रूप से इस बात के पक्ष में होनी चाहिए कि सभी सोसाइटियां राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं। ऐसा वित्त किसी भी तरीके से सरकार द्वारा बिना किसी अंशदान के, अपनी स्वयं की निधियों से, जिस पर उसका अधिकार है, प्राप्त हो सकता है। सरकार वह तंत्र है जिसके माध्यम से वित्त सोसाइटियों तक पहुंचता है, या तो क्रेडिट, सब्सिडी, छूट, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने सहित अन्य विशेषाधिकारों के माध्यम से, जिन्हें अन्यथा सार्वजनिक निधियों में वापस भुगतान करना होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इसके विपरीत मान लेना अस्वीकार्य है, खासकर जब सहकारी क्षेत्र में भी पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह याद रखने की आवश्यकता है कि राज्य द्वारा समितियों का संवर्धन, जिसमें विधायी समर्थन भी शामिल है, भारत के संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिकल्पित समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों को स्वशासी लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में संगठित करके सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित विकास की दृष्टि से है।

सूचना का अधिकार अधिनियम एक जागरूक नागरिक वर्ग के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हुए लागू हो गया है। एक जीवंत लोकतंत्र के लिए भ्रष्टाचार पर काबू पाना नितांत आवश्यक है। समाजों में पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक रूप से प्रदान की जानी चाहिए। इसलिए, हाथ में विधायी प्रावधान के लिए उपरोक्त तरीके से एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण की आवश्यकता होती है।"

इसलिए, यह माना गया कि सहकारी समिति अधिनियमों के तहत पंजीकृत सभी सहकारी समितियां सार्वजनिक प्राधिकरण हैं और आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य हैं।

74. फिर से एक समान प्रश्न डीएवी कॉलेज ट्रस्ट के मामले (**सुप्रा**) *में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा तय किया गया* था , जिसमें आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) (डी) के प्रावधानों की व्याख्या करने के बाद, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था

"'सार्वजनिक प्राधिकरण' की परिभाषा के अवलोकन से पता चलता है कि 'सार्वजनिक प्राधिकरण' का अर्थ होगा कि 'सार्वजनिक प्राधिकरण' का अर्थ होगा कि कोई भी प्राधिकरण या निकाय या संस्था जो उपयुक्त सरकार द्वारा जारी आदेश द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अन्य चीजों के अलावा स्थापित या गठित की गई है। इसमें समुचित सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित

हिंदू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 97
सूचना आयोग और अन्य
(महिंदर सिंह सु11 आर, जे।

किसी निकाय के स्वामित्व, नियंत्रण अथवा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित अथवा गैर-सरकारी संगठन को भी शामिल किया गया है। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ताओं को चंडीगढ़ प्रशासन से काफी अनुदान सहायता मिल रही है। एक बार जब किसी निकाय को सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है, तो ऐसे निकाय के कार्य 'सार्वजनिक प्राधिकरण' के चरित्र में भाग लेते हैं। लोक प्राधिकरण अभिव्यक्ति की परिभाषा से ही पता चलता है कि लोक प्राधिकरण में सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों अथवा यहां तक कि पर्याप्त रूप से वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदत्त निधियों द्वारा स्वामित्व/नियंत्रण अथवा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित कोई संगठन/निकाय शामिल होगा। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उन्हें केवल 45% अनुदान सहायता मिल रही है, यह स्वीकार करने के बाद कि शुरू में उन्हें 95% की सीमा तक अनुदान सहायता का भुगतान किया गया था। यदि की नीति के कारण

> *सरकार 95% की सीमा तक सहायता अनुदान जो शुरू में याचिकाकर्ता को अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की अनुमति देने और बाद में सहायता अनुदान को कम करने की अनुमति दी गई थी, का परिणाम यह तर्क नहीं होगा कि कोई पर्याप्त सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए इसे सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, हमें याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए उदाहरण में कोई तथ्य नहीं मिलता है कि यह एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है।"*

75. इसी तरह, दिल्ली उच्च न्यायालय ने "भारतीय ओलंपिक संघ **बनाम** *वीरेश मलिक और अन्य*", **2007 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 876, 7 जनवरी, 2010 को तय किए गए मामले में इसी तरह के मामले पर विचार किया है और (पैरा संख्या 73 से 76) निम्नानुसार देखा है:**

स्कूलों की याचिका के संबंध में उपरोक्त चर्चा से जो तथ्यात्मक तस्वीर उभरती है, वह यह है कि इसे अनुदान के रूप में 24 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई। इन अनुदानों के बारे में अस्पष्टता है: दिलचस्प बात यह है कि मानव विकास मंत्रालय ने अनुदान को मंजूरी नहीं दी; अलग-अलग मंत्रालयों और एजेंसियों (जैसे सीमा शुल्क विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक) आदि ने अपने बजट से स्पष्ट रूप से धन स्वीकृत किया। निजी स्कूलों को इस तरह के अनुदान या दान के लिए बजट बनाया जा सकता है या नहीं, यह मुद्दा नहीं है। फिर भी, रिकॉर्ड से स्थापित तथ्य यह है कि स्कूल इन फंडों तक पहुंच सकता है, और जुटा सकता है, जो निर्विवाद रूप से अन्य निजी स्कूलों द्वारा नहीं किया जा सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा निजी स्कूलों को इतनी बड़ी धनराशि दान करने के लिए सहमत होने का कोई नीतिगत सुझाव नहीं दिया गया है, भले ही शिक्षा के व्यापक सार्वजनिक उद्देश्य को आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा, सभी संकेत हैं कि स्कूल एक गैर-सहायता प्राप्त संस्थान के रूप में संचालित होता है, और सब्सिडी वाली फीस नहीं लेता है। इसलिए, केवल उन वार्डों के बच्चे जो इस

तरह की फीस वहन कर सकते हैं, इसकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि विभागों या एजेंसियों (या कम से कम उनमें से कुछ) ने एक शर्त लगाई कि उनके अधिकारियों के वार्डों को प्रवेश दिया जाएगा। वार्डों की शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए केंद्र सरकार की किसी नीति का सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है

B. निजी स्कूलों को एक बार के आधार पर भी दान के माध्यम से अपने कर्मचारियों के बच्चों की कुल संख्या का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। स्कूल सहायता अनुदान संस्थानों (सीमा शुल्क विभाग द्वारा जोर दिया गया) पर लागू सरकार के नियमों के अनुसार अपने खातों को बनाए रखने के लिए सहमत हुआ, इसके खातों को सीएजी द्वारा जांच और लेखा परीक्षा के अधीन किया जाएगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार के नामित व्यक्तियों को केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आवंटन पत्र द्वारा अनिवार्य अपनी प्रबंधन समिति का हिस्सा होना आवश्यक है

76. जैसा कि पहले चर्चा की गई है, सरकार द्वारा अनुदान सार्वजनिक धन के रूप में अपने चरित्र को बनाए रखते हैं, भले ही निजी संगठनों को दिया गया हो, जब तक कि किसी प्रकार की सामान्य सार्वजनिक नीति का हिस्सा साबित न हो। यहां सभी खातों द्वारा स्कूल को 24 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया था, बिना किसी बाध्यता के इसे वापस करने के लिए। वास्तव में एक निजी स्कूल कुछ ब्याज के साथ राशि वापस करने के लिए बाध्य होता। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश देने की शर्त को शायद ही एक वैध सार्वजनिक उद्देश्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है, यह निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कोई अनुमेय वर्गीकरण परीक्षण नहीं करेगा। स्कूल को लाभ आवर्ती है, भले ही 10% (जो कि वाणिज्यिक बैंक की उधार दर से बहुत कम है) का रिटर्न 6 साल के लिए माना जाता है, स्कूल को लाभ 14.88 करोड़ रुपये है। यह 24.8 करोड़ रुपये के कुल अनुदान और नाममात्र रियायती दर के अतिरिक्त है जिस पर स्कूल ने निर्माण के लिए भूमि आवंटित की थी।

77. उपरोक्त कारकों पर विचार करने पर, यह अदालत मानती है कि स्कूल अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत एक गैर-सरकारी संगठन होने के आवश्यक तत्वों को पूरा करता है, जिसे विभिन्न विभागों और एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा काफी हद तक वित्तपोषित किया जाता है। इसलिए, यह अधिनियम के शासन द्वारा कवर किया गया है।

78. चुनौतियों के बीच में भारत। एक ओर सभी लोगों के लिए सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना एक सतत कार्य है और दूसरी ओर, आर्थिक अनिवार्यता

वृद्धि और विकास, साथ ही सभी के लिए इसके लाभों का प्रसार, कपड़े को शिक्षित करना और सभी लोगों को आश्रय, रोजगार और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना गैर-अपमानजनक प्राथमिकताएं हैं। कल्याण और इसके लाभों के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा चुने गए मॉडल में गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्य करना शामिल है, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए काम सौंपा गया है और सहायता प्रदान की जाती है। यहां सूचना तक पहुंच की महत्वपूर्ण भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है। यह इस संदर्भ में है कि धारा 2 (एच) मानती है कि गैर-राज्य अभिनेताओं के पास जानकारी का खुलासा करने की जिम्मेदारी हो सकती है जो उन लोगों के लिए उपयोगी और आवश्यक होगी जिनकी वे सेवा करते हैं, क्योंकि यह सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और लोकतंत्र को उत्तरदायी और सार्थक बनाता है

79. (80) इसी विचार को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने **प्रिंसिपल, एमडी सनातन धर्म गर्ल्स कॉलेज के मामले** *(सुप्रा)* में दोहराया था।धारा सिंह गर्ल्स हाई स्कूल मामले **(सुप्रा)** *में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था* कि जब भी राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले निजी निकाय, संस्थान, निजी स्कूलों की गतिविधि पर सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण और वित्त के संबंध में सांठगांठ का एक भी मामला है, तो यह आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत आएगा।

(81)मामले के इस दृष्टिकोण में, मुख्य रूप से, यह धारणा अनिवार्य रूप से यह मानने के पक्ष में होनी चाहिए कि सभी याचिकाकर्ता-संस्थानों को उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है। ऐसा वित्त किसी भी तरीके से प्राप्त हो सकता है, यहां तक कि सरकार द्वारा अपनी स्वयं की निधियों में से कोई बड़ा योगदान किए बिना, जिस पर उसने अधिकार दिया है। सरकार वह तंत्र है, जिसके माध्यम से वित्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संस्थानों तक पहुंचता है। उपर्युक्त टिप्पणियां वर्तमान मामलों के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होती हैं। इसलिए, संभवतः यह नहीं कहा जा सकता है और याचिकाकर्ता-संस्थानों को संभवतः यह तर्क देते हुए नहीं सुना जा सकता है कि उन्हें इस प्रासंगिक संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित नहीं किया गया है जैसा कि उनकी ओर से आग्रह किया गया है।

उपरोक्त कारणों के आलोक में और इस प्रकार किसी भी कोण से देखा जाता है, यह स्पष्ट रूप से स्थापित है और एतद्द्वारा आयोजित किया जाता है, न केवल याचिकाकर्ता- संस्थान संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले निकाय हैं, बल्कि वे प्राधिकरण हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं

समुचित सरकार द्वारा भी, विशेषकर जब शिकायतकर्ता, जो सार्वजनिक उत्साही व्यक्ति हैं, अपने साम्राज्य से किसी मौद्रिक/मालिकाना अधिकार या किसी प्रकार के हिस्से का दावा नहीं कर रहे हैं। वे केवल जानकारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह देखना काफी अजीब है कि याचिकाकर्ता-संस्थान क्यों शर्म महसूस कर रहे हैं और उन्हें (शिकायतकर्ताओं) को जानकारी देने में इतना डर रहे हैं। इसलिए, वे आरटीआई अधिनियम के अर्थ के भीतर सार्वजनिक प्राधिकरण हैं, जो एक बड़े सार्वजनिक हित की सेवा करता है।

80. कोई विकल्प न पाकर, याचिकाकर्ता-संस्थानों के लिए विद्वान वकील का अगला कॉस्मेटिक तर्क कि चूंकि शिकायतकर्ताओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को आरटीआई अधिनियम की धारा 8 के मद्देनजर छूट दी गई है, इसलिए, एसआईसी के पास शिकायतकर्ताओं द्वारा मांगी गई जानकारी की आपूर्ति करने के लिए उन्हें निर्देशित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था, फिर से न केवल योग्यता से रहित है, बल्कि गलत भी है।

81. जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, छूट खंडों के पूर्वोक्त प्रावधानों के एक संयुक्त पढ़ने से पता चलेगा, केवल उन सूचनाओं को छूट दी गई है, जिनके प्रकटीकरण का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की गोपनीयता के अनुचित आक्रमण का कारण होगा, जब तक कि अधिकारी संतुष्ट न हों कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को सही ठहराता है। इसका अर्थ यह है कि चूंकि छूट खंड के सभी अनिवार्य अवयवों का पूर्णत अभाव है, इसलिए याचिकाकर्ता संस्थान अपनी छूट का दावा नहीं कर सकते।

82. मैंने सभी मामलों में शिकायतकर्ताओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को ध्यान से देखा है, लेकिन मेरे लिए, शिकायतकर्ताओं द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं नियमित, सामान्य प्रकृति की हैं और जनहित को प्रदर्शित करती हैं, जिसे संभवतः याचिकाकर्ता-संस्थानों की गोपनीयता का अनुचित उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है और यह छूट खंड के भीतर नहीं आती है जैसा कि इस न्यायालय ने **डीपी जांगड़ा** *बनाम* **मामले में माना है (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, हरियाणा और अन्य के मामले में दिनांक 10-11-2010-11 के दौरान 1000 करोड़ रु की राशि का उपयोग किया गया है।** *बनाम* **केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य (22)।** इसलिए, याचिकाकर्ता-संस्थानों के लिए विद्वान वकील के विपरीत तर्क "सख्त सेंसु" होने के योग्य हैं और इसके द्वारा वर्तमान परिस्थितियों के तहत निरस्त कर दिए जाते हैं क्योंकि पूर्वोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून "म्यूटैटिस म्यूटेंडिस" तत्काल मामलों में पूरी तरह से आकर्षित होता है और हाथ में समस्या का पूरा जवाब है।

(इक्कीस) (2011-2)पीएलआर 40
(बाईस) (2011-2)पीएलआर 101

83. मामले का एक और पहलू है, जिसे एक अलग कोण से देखा जा सकता है। जैसा कि स्पष्ट है कि एसआईसी ने सही परिप्रेक्ष्य में रिकॉर्ड पर सामग्री की जांच की है और रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर तथ्यों के निष्कर्ष को दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता-संस्थान नियंत्रित हैं और राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं और शिकायतकर्ताओं को जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार, एसआईसी ने आक्षेपित आदेशों में वैध कारणों को दर्ज किया है। वैध कारणों वाले ऐसे आदेशों को कानूनी रूप से इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अलग नहीं रखा जा सकता है, जब तक कि वे विकृत और अधिकार क्षेत्र के बिना न हों। चूंकि याचिकाकर्ता-संस्थानों के विद्वान वकील द्वारा ऐसी कोई पेटेंट अवैधता या कानूनी दुर्बलता का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए, मामले की प्राप्त परिस्थितियों में आक्षेपित आदेशों को बनाए रखा जाता है।

84. ऊपर दर्शाए गए कारणों के लिए, यह एतद्द्वारा आयोजित किया जाता है कि, *अन्य बातों के साथ-साथ,* यदि तथ्यों का प्रतीक (i) कि याचिकाकर्ता-संस्थान अस्तित्व में नहीं आ सकते हैं और तब तक कार्य नहीं कर सकते जब तक कि प्रावधानों द्वारा पंजीकृत और विनियमित न हो; (ii) निदष्ट अधिनियमों/नियमों के उपबंधों के माध्यम से उन पर राज्य सरकार का नियंत्रण; (iii) समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित; (iv) सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों का अधिदेश और आदेश; (v) उनके सार्वजनिक लेन-देन; (vi) इस अधिनियम की प्रस्तावना, उद्देश्य, उद्देश्य और व्यवस्था; (vii) व्यापक जनहित और अभिलेखों से उत्पन्न अन्य तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता, जैसा कि ऊपर वर्णित है, एक साथ रखा गया है, उन्हें, मेरे विचार से, निष्कर्ष अपरिहार्य और अपरिहार्य है कि याचिकाकर्ता-संस्थान सार्वजनिक प्राधिकरणों की परिभाषा के दायरे और दायरे में आते हैं और आरटीआई अधिनियम के तहत परिकल्पित शिकायतकर्ताओं को संकेतित जानकारी प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक हैं। यदि याचिकाकर्ता-संस्थानों के लिए विद्वान वकील के विपरीत तर्कों को स्वीकार किया जाता है, तो मेरे लिए, यह आरटीआई अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों को रद्द कर देगा, सामान्य रूप से बड़े जनहित और विशेष रूप से शिकायतकर्ताओं के साथ अन्याय को बनाए रखेगा।

■ (88) कोई अन्य कानूनी बिंदु, विचार करने योग्य, पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा न तो आग्रह किया गया है और न ही दबाया गया है।

89.उपरोक्त कारणों के आलोक में, चूंकि कोई योग्यता नहीं है, इसलिए, तत्काल रिट याचिकाओं को लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

आर. एन. आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:

Prerna Arya

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy

Chandigarh